हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 मार्च, 2001

खण्ड-1, अंक-1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 5 मार्च, 2001

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण	
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 17
घोषणाएं	
(क) अध्यक्ष द्वारा—	
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(1) 36
(ii) याचिका समिति	(1) 36
(ख) सचिव द्वारा—	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(1) 36
बिजनैस एडवाजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1) 37
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र	(1) 42

मूल्य : 68 50

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 5 मार्च, 2001

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर -1, चण्डीगढ़ में 12.45 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह काद्यान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Vidhan Sabha today, the 5th March, 2001 at 11.00 A.M. under Article 176 (1) of the Constitution of India.

A copy of the address is laid on the Table of the House.

"माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सब को हार्दिक शुभकामनायें देता हूं।

इस वर्ष 26 जनवरी को गुजरात के विभिन्न कस्बों में आया भूकम्प सबसे बड़ी त्रासदी था, जिसमें हजारों लोग मारे गये और लाखों बेघर हो गये। इस विपदा की घड़ी में, मैं भी हरियाणा के लोगों के साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मेरी सरकार ने भूकम्प से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए राहत शिविर लगाये। अनियोजित ढंग से राहत सामग्री भेजने की बजाय, जिससे स्थानीय प्रशासन को उसे प्राप्त करने और वितरण करने में बड़ी समस्या होती है, मेरी सरकार ने एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया और गुजरात सरकार की सलाह से भुज जिले के रापड़ तालुका के 19 गाँव, जिनमें 9000 परिवार हैं, पूर्ण राहत पहुंचाने के लिए चुने। इस क्षेत्र में, राहत कार्य सेवा भावना से प्रेरित, कार्यकर्ताओं के चार आत्मनिर्भर दल, प्रत्येक मण्डल में से एक, भेजे गये। इन दलों के पास सभी तरह की राहत सामग्री, जिसमें मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी, टैंट, कम्बल, राशन, जनरेटर-सैट, पानी के टैंकर, चलते-फिरते औषधालय और दवाइयां आदि थीं। इन दलों ने रापड़ क्षेत्र पहुंच कर राहत शिविर स्थापित किये और राहत वितरण का काम बगैर स्थानीय प्रशासन पर किसी प्रकार का भार डाले हुए किया। मेरी सरकार ने उस क्षेत्र से राहत दल वापिस बुलाने से पूर्व सभी 19 गाँवों में लगभग 2000 वर्गफुट के प्रीफेब सामग्री के सामुदायिक केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है। निःस्वार्थ भाव से किए गए राहत कार्यों से हमारे कार्यकर्ताओं ने गुजरात के लोगों का दिल जीत लिया है और इन प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है।

मेरी सरकार ने निचले स्तर पर उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत तीव्र विकास के नये युग का सूत्रपात किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं को जानना और उन पर तुरन्त निर्णय लेकर कार्यान्वित करना है। इसके प्रथम चरण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त महात्मा गांधी जयन्ती पर 2 अक्तूबर, 2000 से इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रथम और दूसरे चरण में 15,846 कार्यों को हाथ में लिया गया जिनमें से अब तक 8006 कार्य पूरे हो चुके हैं। इन कार्यों का सम्बन्ध विभिन्न विभागों से था जैसे-विकास एवं पंचायतें, शिक्षा, सिंचाई, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), लोक निर्माण (जन-स्वास्थ्य), कृषि विपणन बोर्ड एवं एम0 आई0 टी0 सी0 आदि। इनके अन्तर्गत पशु अस्पताल, औषधालय, स्कूलों के कमरे, रिटेनिंग दीवारें, पिछड़े वर्गों के लिए चौपालें, गाँवों की गलियाँ, रिंग बांध आदि के निर्माण कार्य शामिल हैं।

अर्थ-व्यवस्था के भू-मण्डलीयकरण के दृष्टिगत मेरी सरकार ने शिक्षा नीति-2000 लागू की है ताकि हरियाणा के बच्चे नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों, और उनका बहुमुखी विकास हो। नई नीति में, ग्रामीण शिक्षा समितियां गठित करके, शिक्षा प्रणाली का विकेन्द्रीयकरण करना और अभिभावकों, समुदाय और निचले स्तर के स्थानीय निकायों को भागीदार बनाना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हरियाणा के बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, विश्व परिदृश्य में बड़ी तेजी से हो रहे परिवर्तन के माहौल में पीछे न रहें, इसके लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार यह प्रयास करेगी कि कम्प्यूटर शिक्षा प्राथमिक स्तर से शुरू की जाए, जिससे कि हमारे बच्चे इस युग की नई परिस्थितियों का पूर्ण रुप से सामना कर सकें।

हरियाणा को उत्तरी भारत की आई0 टी0 राजधानी बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2000 बनाई है। ऐसी नीति आर्थिक गतिविधियों को तेज करने, दक्ष प्रशासन प्रदान करने और मानव संसाधन विकास में एक कारगर उपकरण का काम करेगी। इस नीति का उद्देश्य सूचनाओं के आदान-प्रदान और सूचना आंकड़ा बैंक तैयार करके सरकार और जनता के बीच सतत् ताल-मेल स्थापित करना है। एक हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-मेल, ऑन-लाइन एप्लीकेशन प्रौसेसिंग, पूछताछ और उत्तर आदि के लिए ध्वनि, डाटा और वीडियो ट्रांसमिशन की सुविधा होगी। इस नीति के उद्देश्य की प्राप्ति में निजी क्षेत्र की अहम् भूमिका होगी और राज्य सुविधाएं प्रदान करने की भूमिकाएं निभाएगा।

माननीय सदस्यगण, यह ऐसा युग है जिसमें प्रशासन में केन्द्रीयकरण की बजाय विकेन्द्रीयकरण को महत्व दिया जा रहा है। इस विश्वव्यापी दृष्टिकोण में मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देने के लिए वचनबद्ध है। ग्राम सभा के लोगों को विकास कार्यों के क्रियान्वयन में भागीदार बनाने, निधि के प्रयोग में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए मेरी सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास समितियां गठित करने का कदम उठाया है। इन समितियों के सदस्यों में गांव का सरपंच, एक महिला पंच, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के एक-एक पंचों के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिक और ग्राम के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे।

मेरी सरकार यह महसूस करती है कि चण्डीगढ़ और पंजाब में रह गये हिन्दी भाषी क्षेत्र और रावी-ब्यास के पानी का न्यायोचित हिस्सा हरियाणा को न मिलने के कारण वर्षों से, हरियाणा की जनता से बड़ा अन्याय हुआ है। सतलुज-यमुना योजक नहर हरियाणा प्रदेश के लोगों की जीवन रेखा है। इसके न बनने से न केवल हरियाणा को बल्कि राष्ट्र को भी नुक्सान हो रहा है। मेरी सरकार एस0 वाई0 एल0 का निर्माण करवाने और रावी-ब्यास नदियों के पानी में से हरियाणा का न्यायोचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। यह मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और मेरी सरकार इसकी मुस्तैदी से पैरवी कर रही है।

कृषि

माननीय सदस्यगण, कृषि हरियाणा की अर्थ-वयवस्था का मूल आधार है। मेरी सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर अत्याधिक बल दिया है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को बनाये रखने के लिए सतत् प्रयास किये गये हैं।

वर्षा कम होने और बिजली की कमी रहने के बावजूद वर्ष 1999-2000 में खाद्यानों का 130.69 लाख टन रिकार्ड उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 122.50 लाख टन का था। वर्ष 2000-2001 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 133.44 लाख टन होने की आशा है। इसी तरह चालू वित्त वर्ष 2000-2001 में गन्ने, कपास और तिलहनों के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 9 लाख टन (गुड़), 12 लाख गांठें और 10.20 लाख टन पूरा किया जाएया।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने विभिन्न कृषि इन्पुट (Input) की समय पर उपलब्धता के व्यापक प्रबन्ध किये हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान खरीफ और रबी फसलों के लिए 4.23 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज, किसानों में वितरित किये गये, जबकि लक्ष्य 3.79 लाख क्विंटल का निर्धारित था और सूखे की लम्बी अवधि के कारण कुछ फसलों के अधीन क्षेत्र में भी कमी आई थी। चालू वित्त वर्ष में रासायनिक खादों की खपत 9.23 लाख टन पोषक तत्व होने की सम्भावना है।

मेहनती एवं कर्मठ किसानों को, अधिक उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, विभिन्न प्रमाणित बीजों पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल की सबसिडी दी गई है। चालू वित्त वर्ष में फासफेटिक और पोटाश उर्वरकों पर 180 करोड़ रुपये सबसिडी के रूप में खर्च किये जायेंगे, जबकि वर्ष 1999-2000 में 150 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। मेरी सरकार किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है।

खरीफ 2000 के दौरान 1133.16 करोड़ रुपये के फसली ऋण दिये गये, जबकि खरीफ 1999 के दौरान 1021.60 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे। चालू रबी मौसम के दौरान 1220 करोड़ रुपये के ऋण देने की योजना है, जबकि रबी 1999-2000 के दौरान 1016.63 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे।

किसानों के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने चालू पिराई मौसम के दौरान गन्ने की विभिन्न किस्मों के लिए 104 रुपये, 106 रुपये और 110 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया है, जोकि देश में सबसे अधिक है। उपलब्ध बहुमूल्य पानी के उचित प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, छिड़काव सिंचाई प्रणाली को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चालू वित्त वर्ष में 5000 छिड़काव सैट लगाए जाएंगे, जिससे राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 79,660 हो जोयेगी।

विश्व व्यापार संगठन से जुड़ी, कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के प्रति मेरी सरकार पूरी तरह सचेत है और विशेषज्ञों की एक समिति इनका निरीक्षण कर रही है। अतः कृषि के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, चालू वित्त वर्ष में ज़ैद -रबी मौसम के दौरान सूरजमुखी की खेती 50,000 हैक्टेयर भूमि पर करने की योजना बनाई गई है और इसका उत्पादन 70,000 टन होने का अनुमान है। बागवानी के अधीन और अधिक क्षेत्र लगाने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में फलों की खेती के अधीन 2000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया जा रहा है और आगामी वित्त वर्ष में 2100 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र इनके अधीन लाने का अनुमान है। फूलों की खेती पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। फूलों की खेती की बढ़ती महत्ता के दृष्टिगत चालू वित्त वर्ष में फूलों की खेती 3000 हैक्टेयर क्षेत्र पर होने का अनुमान है।

माननीय सदस्यगण, कृषि क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए यह अनिवार्य है कि एक सुदृढ़ मूलभूत ढांचा उपलब्ध हो। इसके लिए हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, ग्रामीण सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत युद्ध स्तर पर कर रहा है और 31 दिसम्बर, 2000 तक ऐसे कार्यों पर 60.63 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। बोर्ड ने 659 किलोमीटर लम्बी नई सम्पर्क सड़कें भी स्वीकृत की हैं, जिन पर 52.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष में, 31-12-2000 तक, 83.43 करोड़ रुपये नई सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर खर्च किये हैं और इसी अवधि में 853.24 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों को पक्का किया है। बोर्ड का 40 हजार टन क्षमता के गोदाम बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे इनकी वर्तमान क्षमता 3.87 लाख टन से बढ़कर 4.27 लाख टन हो जायेगी। मेरी सरकार ने नए नियम बनाये हैं, जिनके तहत खुली बोली के अतिरिक्त, पुराने पात्र लाइसैंस धारकों को, निर्धारित मूल्य पर, ड्रा के माध्यम से मण्डियों में दुकानों के प्लाट देने का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में इन नियमों के तहत 31-12-2000 तक 937 दुकानें और बूथ प्लाट अलाट किये गये हैं, जिनका मूल्य 60.74 करोड़ रुपये है।

बिजली

माननीय सदस्यगण, आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए पर्याप्त और उचित गुणवत्ता की बिजली का होना अति आवश्यक है। मेरी सरकार ने बिजली क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है कि पिछले 19 महीनों में, गत इसी अवधि की ही तुलना में, प्रतिदिन औसतन 49 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की गई है और यह वृद्धि 13 प्रतिशत है। 13 अगस्त, 2000 को 576.56 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति करके एक रिकार्ड कायम किया गया, जबकि पिछले वर्ष 25 सितम्बर, 1999 को अधिकतम 518.4 लाख यूनिट बिजली की रिकार्ड आपूर्ति की गई थी और 9 अगस्त, 1998 को 458.05 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई थी। बिजली की इस बढ़ी हुई उपलब्धता के कारण विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करना संभव हुआ है।

राज्य के अपने ताप बिजलीघरों से वर्ष 1999-2000 में 9 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हुआ। इसके अलावा फरीदाबाद में गैस पर आधारित 432 मैगावाट के बिजली संयंत्र के पूरा होने पर राज्य को प्रतिदिन लगभग 100 लाख यूनिट बिजली मिलने लगी है। इसके साथ-साथ मेरी सरकार ने केन्द्रीय पूल से, गैर-आबंटित हिस्से में से, और अधिक बिजली प्राप्त करके तथा पड़ौसी राज्यों से भी बिजली की खरीद करके अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है।

मेरी सरकार भविष्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिये ठोस कदम उठा रही है। पानीपत थर्मल प्लांट की 210 मैगावाट की छठी यूनिट के निर्माण का कार्य अप्रैल, 2001 तक पूरा होने की आशा है। मेरी सरकार ने पानीपत और फरीदाबाद ताप बिजलीघरों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके लिए त्वरित बिजली विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। निरन्तर और गुणवत्ता की बिजली सुनिश्चित करने के लिए सम्प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। गत डेढ़ वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2000 तक मेरी सरकार ने 9 नए ग्रिड सब-स्टेशन चालू किये हैं और वर्तमान 71 सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई है और 303 किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाई हैं।

राज्य में विभिन्न स्थानों पर 220 के0 वी0 सब-स्टेशन न्यूक्लीयस के तौर पर बनाने के लिए 475 करोड़ रुपये की लागत की नई सम्प्रेषण स्कीम बनाई गई है। इन स्कीमों के लिए विद्युत वित्त निगम व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 256 करोड़ रुपये का ऋण पहले ही स्वीकृत कर दिया है।

अति भार वाले 11 के0 वी0 के 50 फीडरों के नवीनीकरण करने का विशेष कार्यक्रम पूरा होने वाला है और 11 के0 वी0 के 135 नए फीडर चालू किये गये हैं। अति भार वाले 60 और फीडरों की पहचान की गई है, जिन पर एक साल के अन्दर-अन्दर काम शुरू किया जायेगा। ट्रांसफार्मर्ज के अति भार को दूर करने और ट्रांसफार्मर्ज को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए प्रणाली में 5000 नए वितरण ट्रांसफार्मर जोड़े गये हैं। क्षतिग्रस्त बिजली की तारों को बदलने का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर मीटर बैंक और ट्रांसफार्मर बैंक स्थापित किये गये हैं ताकि इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

नए ट्यूबवैल कनैक्शन देने का काम, जो पिछले चार-पांच सालों से बंद पड़ा था, उसमें तेजी लाई गई है और इसके लिए विशेष 'तत्काल स्कीम' और अपना ट्रांसफार्मर स्कीम, शुरू की गई है। वर्ष 2000-2001 में 10 हजार नए ट्यूबवैल कनैक्शन दिये गये हैं।

जहां मेरी सरकार उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की निरन्तर बिजली देने के लिए वचनबद्ध है, वहीं यह भी आशा करती है कि उपभोक्ता बिजली की चोरी न करें और बिजली के बिलों का नियमित रूप से भुगतान करें। उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों का भुगतान करने में सुविधा देने के लिए मेरी सरकार ने बकाया बिलों पर सरचार्ज माफ करने की स्कीम शुरू की है। यह खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में बिजली के बिलों का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और बकाया बिलों की राशि जमा करवाई है।

बिजली निगमों ने उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि के लिए कई अनूठे कदम उठाए हैं, जिनमें बिजली के बिलों के वितरण में सुधार और राजस्व की वसूली शामिल है। अब बिजली के बिलों का भुगतान निर्धारित किये गये वाणिज्यिक बैंकों में किया जा सकता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए बिजली अदालतें स्थापित की गई हैं। बिजली सभा/उपभोक्ता शिकायत निवारण समितियों की बैठकें आयोजित करने की स्कीम भी शुरू की गई है, जहां पर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्काल निवारण किया जाता है।

मेरी सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम फण्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 13 फरवरी, 2001 को भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, पहचाने गये चार परिमण्डलों में सम्प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने व ताप बिजलीघरों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। केन्द्रीय परियोजनाओं से अतिरिक्त बिजली आबंटित करने तथा फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार में नई बिजली परियोजनाएं स्थापित करने में भी भारत सरकार से सहायता मिलेगी। इस सम्बन्ध में मिलने वाली आर्थिक सहायता की एक-चौथाई राशि अनुदान के रूप में और शेष राशि आसान ऋण के रूप में होगी।

सिंचाई

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में सिंचाई क्षेत्र के महत्व को देखते हुए मेरी सरकार इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दे रही है । राज्य में सभी स्रोतों से इस समय जो पानी उपलब्ध है, उससे प्रदेश की केवल दो तिहाई जरुरत ही पूरी होती है। भूमिगत जल का उपयोग पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुका है और सतही जल की उपलब्धता राज्य के गठन के पश्चात् लगभग स्थिर है। सिंचाई क्षमता को बढाने का जो एकमात्र तरीका बचा है वह है पानी का संरक्षण और प्रबन्धन, ताकि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, नहरों तथा जलमार्गों को पक्का किया जा रहा है और उनकी मरम्मत की जा रही है तथा सिंचाई के पुराने ढ़ांचों को बदला जा रहा है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम ने लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से 159 जलमार्गों को पक्का किया, जिससे लगभग 16 हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई। इसी प्रकार नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) ने भी लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से 100 जलमार्गों को पक्का किया, जिससे 13 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई। पानी का और अधिक संरक्षण करने के लिए कच्ची नहरों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है। जिन प्रमुख नहरों को आधुनिकीकरण किया गया है, उनमें बरवाला ब्रांच, मलेका माइनर तथा इसराना रजवाहा शामिल हैं। नहरी क्षेत्र में सुधार करने के लिए नई माईनरों के निर्माण तथा वर्तमान माईनरों के विस्तार के कार्य को तेज भी किया गया है। सिंचाई क्षमता में पर्याप्त वृद्धि केवल तभी हो सकती है, जब राज्य को सतलुज-यमुना योजक नहर के माध्यम से उसके हिस्से का रावी-ब्यास का पानी मिले और पानी के भण्डारण के लिए अपर यमुना नदी बेसिन में बांधों का निर्माण किया जाए, इसके लिए मेरी सरकार भरसक प्रयास कर रही है।

राज्य से बाढ़ के पानी की निकासी के लिए यमुना तथा घग्घर नदी बेसिन के कुछ हिस्सों में ड्रेनेज तंत्र उपलब्ध हैं। प्रदेश के मध्य भाग में, जहां पर ड्रेनेज तन्त्र उपलब्ध नहीं है, छोटी-छोटी ड्रेनों का निर्माण करके तथा पम्पिंग स्टेशनों और चलते-फिरते पम्पों से पास की नहरों में पानी डालकर बाढ़ के पानी की निकासी की जाती है। घग्घर नदी बेसिन के अन्तर्गत आने वाले जिलों कैथल, जीन्द, हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा की बाढ़ की समस्या का स्थाई रूप से समाधान करने के लिए हिसार-घग्घर ड्रेन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई गई है।

माननीय सदस्यगण, प्रदेश में 1858 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा जल संसाधन एकीकरण परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जो मूल रूप से छः वर्ष (1994-2000) की अवधि के लिए लागू की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत पश्चिमी यमुना लिंक चैनल व ओटू वीयर का निर्माण, साल्हावास लिफ्ट चैनल का आधुनिकीकरण, पथराला बांध का निर्माण, पंचकूला में

सिंचाई भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है। हरियाणा सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी अवधि 31 दिसम्बर, 2001 तक बढ़वा ली है। इसकी अवधि बढ़ाए जाने से हिसार-घग्घर ड्रेन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने में भी मदद मिलेगी।

मेरी सरकार ने ग्रामीण मूलसंरचना विकास कोष के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सात परियोजनाएं स्वीकृत करवाई हैं। जिन प्रमुख योजनाओं पर कार्य चल रहा है, उनमें रिवाड़ी उठान सिंचाई योजना, महम ड्रेन, लाखनमाजरा ड्रेन का निर्माण तथा खानपुर माइनर शामिल हैं।

औद्योगिक विकास

माननीय सदस्यगण, औद्योगिक क्षेत्र में भी अपार सफलता प्राप्त की गई है। मेरी सरकार ने राज्य से न केवल पूंजी के बढ़ते हुए पलायन को रोका है, अपितु प्रदेश में निवेशकों के अनुकूल वातावरण पैदा करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बड़े औद्योगिक घरानों, विदेशी निवेशकों, अप्रवासी भारतीयों तथा लघु उद्यमकर्त्ताओं से काफी निवेश आकर्षित किया है। प्रदेश में मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई नई औद्योगिक नीति से औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है।

इसी संदर्भ में, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम (एच0 एस0 आई0 डी0 सी0) ने औद्योगिक सम्पदाओं के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने दिल्ली के नॉन-कन्फोर्मिंग क्षेत्रों से स्थानांतरित होने वाले उद्योगों को समायोजित करने के लिए दो शिविर आयोजित किये, जिनमें कुल 1,410 आवेदकों में से 1,218 पात्र आवेदकों को औद्योगिक प्लॉट आवंटित किये गये। इस प्रकार, विभिन्न औद्योगिक सम्पदाओं में 7000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि का निवेश हुआ है, जिससे लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तथा राज्य की अर्थ-व्यवस्था का विकास होने से अनेक लोगों को सम्बद्ध तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार मिलेगा।

औद्योगिक क्षेत्र में हुई इस शानदार प्रगति का श्रेय मेरी सरकार की नई उदार औद्योगिक नीति तथा एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा किये गये प्रयासों को जाता है। 8000 से अधिक उद्यमकर्त्ताओं ने प्रदेश में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की, जिनमें से 4000 उद्यमकर्त्ताओं को पहले ही औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत, राज्य सरकार का बादली (500 एकड़), बहादुरगढ़ (900 एकड़), कुंडली-राई औद्योगिक परिसर (500 एकड़) तथा मानेसर विस्तार (1,000 एकड़) में नई औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। राई में विकास कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार की आगामी दो वर्ष के दौरान इन सम्पदाओं में औद्योगिक मूलभूत संरचना का निर्माण करने के लिए अपनी विकास एजेंसियों के माध्यम से 1200 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।

प्रदेश में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक सरकारी एवं व्यापार शिष्टमंडल, जिसमें सात सरकारी सदस्य तथा 14 व्यापारी थे, ने पिछले वर्ष 7 से 18 अक्तूबर तक सिंगापुर जापान और दक्षिणी-कोरिया का दौरा किया। इस दौरे के दौरान यह शिष्टमंडल होण्डा, सुजुकी तथा वाई0 के0 के0 जैसी प्रमुख अग्रणी विदेशी कम्पनियों से 1100 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त करने में सफल रहा। इसके अतिरिक्त, शिष्टमंडल विदेशी निवेशकों को यह समझाने में भी सफल रहा कि भारत में हरियाणा निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है।

जन स्वास्थ्य

हरियाणा देश का एक ऐसा अग्रणी राज्य है, जहां सभी गांवों एवं शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की गई है तथा पेयजल आपूर्ति को 55/70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। राज्य का दक्षिणी भाग मीठे भू-जल की उपलब्धता की कमी तथा नहरों के अंतिम छोर पर अपर्याप्त पानी के कारण, पेयजल की अत्याधिक कमी का सामना कर रहा है।

मेरी सरकार को यह श्रेय जाता है कि जिन गांवों में पेयजल आपूर्ति 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढ़ाकर 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दी गई है, उन गांवों में सरकार ने 75,000 घरेलू कनैक्शन उपलब्ध करवाए हैं।

गतिशील शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान आठ शहरों के लिए 19 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, जो कि एक कीर्तिमान है। ये आठ शहर हैं-नूंह, महम, फिरोजपुर झिरका, महेन्द्रगढ़, हेली मण्डी, कालांवाली, बेरी तथा पिंजौर।

मेरी सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पानी के अंधाधुंध अवैध प्राईवेट कनैक्शनों पर अंकुश तथा पेयजल आपूर्ति योजनाओं की कार्यप्रणाली को सुधारने के दृष्टिगत विशेष कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में गांवों तथा शहरों की वैध कॉलोनियों में पानी के सभी वर्तमान अवैध कनैक्शनों को नाम मात्र राशि लेकर नियमित किया जा रहा है। इसी प्रकार, नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत शहरों की वैध कॉलोनियों में सीवरेज के सभी वर्तमान अवैध घरेलू कनैक्शनों को नाममात्र फीस लेकर नियमित किया जा रहा है।

प्रदुषण के स्तर को विनियमित करने के लिए यमुना कार्य योजना के तहत 232.20 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत के साथ 12 शहरों में एक परियोजना शुरू की गई है। प्रारम्भ में यमुनानगर-जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव तथा फरीदाबाद शहरों का चयन किया गया। इन छः शहरों में निर्मित किये जाने वाले 11 सीवेज उपचार संयंत्रों में से 10 संयंत्र पूर्ण होकर शुरू किये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त छः शहरों नामतः इंद्री, रादौर, छछरौली, घरौंडा, गोहाना तथा पलवल में यह योजना शुरु की गई है।

भवन एवं सड़कें

मेरी सरकार सड़कों की विशेष मरम्मत युद्धस्तर पर करने के लिए कृतसंकल्प है। वर्तमान सड़कों को सुधारने का कार्य भी इस वर्ष जोरों से चल रहा है। जनवरी, 2001 तक 60.75 करोड़ रुपये की लागत से 2,596 कि0 मी0 लम्बी सड़कों को सुदृढ़ करने, सुधार करने, ऊंचा उठाने, चौड़ा करने तथा नए निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस वर्ष के दौरान जनवरी मास तक 47.53 कि0 मी0 लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। बाटा चौक फरीदाबाद में एक चार मार्गी रेलवे ऊपरिगामी पुल का निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा हो चुका है और यह पुल यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसी प्रकार, अम्बाला छावनी बस अड्डे के समीप एक "एलिवेटिड हाईवे" के निर्माण कार्य को पूरा करके इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। राज्यीय राजमार्गों के सुधार के लिए हुडको द्वारा 321 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है और सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान दो पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और पांच पुलों पर निर्माण कार्य चल रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास करने का एक प्रमुख साधन है। इस क्षेत्र के महत्व को महसूस करते हुए मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मेरी सरकार ने एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 घोषित की है, जिससे मानव संसाधनों का विकास हो सकेगा और लोगों को आसानी से सूचना उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहनों की व्यवस्था है, जिनमें प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन, निर्बाध बिजली सप्लाई, भूतल क्षेत्र अनुपात में छूट, ऋणों में प्राथमिकता, प्रदूषण नियंत्रण से छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आई0 टी0 उद्योग के विकास के लिए तीव्र गति डाटा संचार सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इन रियायतों तथा राज्य में उपलब्ध अन्य सुविधाओं से विश्व प्रसिद्ध अनेक कम्पनियां प्रदेश में अपनी यूनिटें स्थापित करने के लिए प्रेरित हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नीति में, राज्य में, संचार तंत्र की स्थापना पर भी बल दिया गया है, जो कि एक सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी का काम करेगी।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार लोगों को कुशल एवं पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी विभागों के काम काज में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलैक्ट्रॉनिक्स-प्रशासन के लिए एक केन्द्र स्थापित किया है, जो विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है। यह केन्द्र सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग माननीय विधायकों को पहले ही प्रशिक्षण दे चुका है। मैं पूरे उत्साह से प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

राज्य में इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार गुड़गांव में एक साईबर सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है तथा ऐसी ही सुविधाएं पंचकूला में स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मेरी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्षेत्र के लिए कुशल प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

परिवहन

माननीय सदस्यगण, हरियाणा राज्य परिवहन प्रतिदिन लगभग 11 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर राज्य की अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन ने कई कदम उठाए हैं जिनमें बस बेड़े का नवीनकरण और सुधार बस मार्गों एवं समय को तर्कसंगत बनाना तथा राज्य में और अधिक बसें चलाना इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकार ने 1100 पुरानी बसें बदलने का निर्णय लिया है, जिनमें से 450 नई बसें पहले ही सड़कों पर लाई जा चुकी हैं। शेष पुरानी बसों को भी बदलने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछले एक साल में डीजल के भाव दो बार बढ़ जाने से हरियाणा राज्य परिवहन पर 60 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसके बावजूद अप्रैल से दिसम्बर, 2000 के दौरान, गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में, हरियाणा राज्य परिवहन के घाटे में 29 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में यात्री कर, टोकन टैक्स, पूंजी पर ब्याज आदि के रूप में राज्य के संसाधनों में योगदान देने में 80 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

मेरी सरकार ने यात्री परिवहन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष मार्गों का निजीकरण करने की एक नई स्कीम बनाई है। राज्य में वैज्ञानिक ढंग से यातायात के नियंत्रण के लिए सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के वर्तमान 10 कार्यालयों के स्थान पर राज्य के प्रत्येक जिलें में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के चार मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटनाओं को कम करने और आधुनिक तरीके से यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक की निगरानी में हरियाणा हाईवे गश्त एवं सड़क सुरक्षा संस्था का गठन किया गया है। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए प्रत्येक यातायात सहायता केन्द्र में एक रिकवरी क्रेन तथा एक एम्बुलेंस उपलब्ध होगी। प्रत्येक यातायात सहायता केन्द्र में श्वास विश्लेषक, गति मापक राडार तथा संचार उपकरण इत्यादि उपलब्ध होंगे।

शिक्षा

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा क्रियान्वित नई शिक्षा नीति-2000 से हरियाणा के बच्चों का चहुंमुखी विकास होगा। बच्चों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने हेतु अंग्रेजी विषय को पहली कक्षा से शुरू किया जाएगा। सरकार, स्कूलों एवं कॉलेजों में भी आवश्यक मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करेगी, जो स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति को बनाए रखने तथा कॉलेजों में छात्रों के दाखिले बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगी। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर भी बल दिया जा रहा है तथा इसके दृष्टिगत जे0 बी0 टी0 अध्यापकों के 3076, संस्कृत अध्यापकों के 482, हिन्दी अध्यापकों के 860, कला अध्यापकों के 471 तथा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के 622 रिक्त पद भरे गए हैं।

राज्य के सात जिलों में क्रियान्वित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0 पी0 ई0 पी0-I तथा II) के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इस कार्यक्रम के लाभ को बनाए रखना मेरी सरकार का लक्ष्य है।

मेरी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। वर्ष 2001 के दौरान महिलाओं के लिए दो नए राजकीय महाविद्यालय खोले गये, जिससे कन्या महाविद्यालयों की संख्या आठ हो गई । 164 महाविद्यालयों में महिला विकास एवं अध्ययन सैल स्थापित किए गए हैं।

पहली जनवरी 1996 से वेतनमान को संशोधित करने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को मेरी सरकार द्वारा अपनाया गया है।

मेरी सरकार ने 40 सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों को विभिन्न नए कोर्स शुरू करने की अनुमति दी है, जिनमें मांग के आधार पर लाभकारी रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने की क्षमता है।

स्वास्थ्य

मेरी सरकार ने लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों का निर्माण करके वर्तमान स्वास्थ्य मूलभूत संरचना को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

मेरी सरकार के शासनकाल के दौरान एक सिविल अस्पताल, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दो शहरी डिस्पैंसरियों का निर्माण हुआ और उन्हें शुरू कर दिया गया है। फरीदाबाद में दो 30 बिस्तर वाले अस्पतालों, फतेहाबाद तथा झज्जर में रक्त बैंकों, चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। झज्जर एवं फतेहाबाद में रक्त बैंकों के निर्माण के पश्चात् हरियाणा के सभी जिलों में लाईसैंस प्राप्त रक्त बैंक होंगे। राज्य के तीन जिलों फरीदाबाद, गुडगांव तथा सोनीपत में संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां सभी तपेदिक पीड़ितों को निःशुल्क दवा दी जा रही है।

मेरी सरकार करनाल के सामान्य अस्पताल में एक ट्रॉमा सैंटर स्थापित कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 10 पर स्थित सिरसा शहर में भी ट्रॉमा सैंटर खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। पांच क्षेत्रीय निदान केन्द्रों को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है तथा इस योजना के तहत वर्ष 2000 से 2005 तक की अवधि के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गई है। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अम्बाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी तथा सिरसा में कोबाल्ट इकाइयां स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 रोहतक में एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्वीकृत किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 75 लाख रुपये का सहायतानुदान प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार के भरसक प्रयासों से अप्रैल, 1999 के दौरान अग्रोहा मैडिकल कॉलेज के 152 विद्यार्थियों के पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 रोहतक में हुए स्थानांतरण को नियमित किया जा सका है तथा एम0 बी0 बी0 एस0 में वार्षिक दाखिले की संख्या को भी 115 से बढ़ाकर 150 किया गया है।

सहकारिता

आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में सहकारिता आन्दोलन का विस्तार हुआ है।

विपणन के क्षेत्र में हैफेड ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। वर्ष 1999-2000 के दौरान हैफेड का कारोबार 784 करोड़ रुपये से बढ़कर 1384 करोड़ रुपये हो गया है। हैफेड ने 28 करोड़ रुपये की लागत से 2.77 लाख टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य भी शुरू किया है। जिला सिरसा के सकता खेड़ा गांव में एक नया पशु चारा संयन्त्र 2.75 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है।

हरियाणा की 10 सहकारी चीनी मिलों ने वर्ष 2000-2001 के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 22 फरवरी, 2001 तक सहकारी चीनी मिलों द्वारा 196.74 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 18.18 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया, जबकि गत वर्ष 202.2 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 17.13 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया था। इस वर्ष गन्ने से चीनी की प्राप्ति 9.4 प्रतिशत रही, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह प्राप्ति 8.63 प्रतिशत थी। चालू मौसम के दौरान चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्य के रूप में 136.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। किसानों को, हर हाल में, समय पर गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।

जिला सिरसा के पन्नीवाला मोटा तथा जिला सोनीपत के आहुलाना क्षेत्र में दो नई चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं, जो वर्ष 2001-2002 के पिराई मौसम से कार्य करना शुरू कर देंगी।

हरियाणा राज्य सहकारी डेरी प्रसंघ लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 180 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि गत वर्ष 161 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया था। रोहतक तथा बल्लभगढ़ दुग्ध संयन्त्रों ने आई0 एस0 ओ0 प्रमाण-पत्र प्राप्त करके राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अनूठी उपलब्धि प्राप्त की है। हरियाणा राज्य सहकारी डेरी प्रसंघ लिमिटेड ने दूध की दैनिक खरीद पांच लाख लिटर तक बढ़ा दी है, जोकि एक रिकार्ड है।

नगर विकास

माननीय सदस्यगण, नगरपालिकाओं का शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शासन विभाग का नाम नगर विकास विभाग में परिवर्तित किया गया है। पंचकूला में 26-1-2001 को एक नगरपरिषद् का गठन किया गया, जिससे राज्य में नगरपालिकाओं की संख्या बढ़कर 54 हो गयी है। इसके गठन से पंचकूला के लोगों को स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा क्योंकि चुनी हुई संस्था छः मास की अवधि में अस्तित्व में आ जाएगी। राज्य की सभी नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं द्वारा शहरों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सभी नगरपालिकाओं को ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के 20 नगरपालिका शहरों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए 92.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना तैयार की गई है, जिससे 26.04 लाख लोगों को लाभ होगा। यह योजना अढ़ाई वर्ष में पूरी की जाएगी।

माननीय सदस्यगण, दूध की डेरियों को सुनियोजित आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने तथा शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 18.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत डेरियों को छः शहरों, नामतः रोहतक, हिसार, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, यमुनानगर तथा जगाधरी में शहर से बाहर स्थानांतरित किया जायेगा। नगर निगम, फरीदाबाद की भी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित लगभग 1500 डेरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की योजना है।

हरियाणा में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा एक आधुनिक अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने के लिए भी 24.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना तैयार की गई है। आगामी पांच वर्ष के दौरान झज्जर, कालका, जगाधरी, नरवाना, बरवाला ,शाहबाद, महेन्द्रगढ़, महम, ऐलनाबाद तथा बावल में नये अग्निशमन स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में ग्राम पंचायतों के प्रशासकीय स्वीकृति अधिकारों की पूर्व सीमा को 25 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये, पंचायत समितियों की पूर्व सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक तथा जिला परिषदों की

पूर्व सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन से पांच लाख रुपये तक कर दिया गया है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर स्टैम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण फीस से प्राप्त राशि का तीन प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को दिया जायेगा। इसी प्रकार, पशु मेलों से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत, जोकि पहले राज्य सरकार द्वारा अपने पास रखा जाता था, अब जिला परिषदों को दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए प्रत्येक खण्ड को दस लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

हरियाणा ग्रामीण विकास कोष प्रशासन बोर्ड ने स्कूलों के कमरों, डिस्पैंसरियों, ग्रामीण सड़कों, गलियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए चौपालों और रिटेनिंग दीवारों का निर्माण करवाने जैसे विभिन्न विकास कार्यों में उल्लेखनीय कार्य किया है। चालू वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त विकास की गतिविधियों के लिए 98.86 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

माननीय सदस्यगण, गरीबों में से सबसे गरीब हरियाणावासियों का उत्थान करना मेरी सरकार के प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों में से एक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए मेरी सरकार "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वःरोजगार योजना", "जवाहर ग्राम समृद्धि योजना" तथा "इंदिरा आवास योजना" जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, रिवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़ जिलों के दस गर्म-शुष्क खण्डों में मरु विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

समाज कल्याण

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों, अनाथों, निराश्रित बच्चों, अपचारी किशोरों, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके आश्रितों आदि की सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों की ओर विशेष ध्यान दिया है। 13 लाख से अधिक लाभ भोगियों को प्रतिमास 200 रुपये की दर से वृद्धावस्था पैंशन, विधवा पैंशन तथा विकलांग पैंशन वितरित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित 100 वृद्ध विश्राम गृहों का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि मेरी सरकार वृद्धों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित विद्यार्थियों के कल्याण के लिए छात्रवृत्ति, ट्यूशन फीस से छूट, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय परीक्षा फीस का पुनः भुगतान तथा लेखन सामग्री उपलब्ध करवाने जैसी अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जे0 बी0 टी0 के कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। साथ ही अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों (ब्लॉक-ए) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए लेखन अनुदान को 2001-2002 से दुगुना किया जाएगा। अनुसूचित जातियों को मकानों के निर्माण के लिए दी जा रही सबसिडी को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का वर्ष 2001-2002 के दौरान अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित 12,500 व्यक्तियों को 43.47 करोड़ रुपये की वित्त सहायता उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार ने महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए राज्य महिला आयोग स्थापित किया है। राज्य में वर्ष 2001

महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है तथा महिलाओं के विकास के लिए परिपेक्ष्य योजना तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करके तथा राज्य के विभिन्न भागों में आवश्यक मूलभूत संरचना उत्पन्न करके खेलों के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त करके राज्य एवं देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के होनहार खिलाड़ियों को क्रमशः एक करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये तथा 25 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इस वर्ष के दौरान सिडनी में हुए ओलम्पिक खेलों की कांस्य पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार, संटियागो (चिल्ली) में हुई जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता कुमारी सीमा आंतिल को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। राज्य एवं देश का नाम रोशन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 हजार रुपये का भीम अवार्ड भी दिया जाता है। इस अवार्ड के तहत राज्य के छः उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है।

विभाग राज्य भर में विभिन्न खेलों के 400 से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रहा है। विभिन्न खेलों के लिए 24 खेल नर्सरियां तथा एक खेल छात्रावास भी संचालित किया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों को सघन प्रशिक्षण के साथ-साथ ठहरने की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। राज्य के ओलम्पिक खिलाड़ियों तथा अर्जुन एवं भीम अवार्ड विजेताओं को हरियाणा परिवहन के सभी मार्गों पर निःशुल्क बस यात्रा सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। फरीदाबाद में 8.43 करोड़ रुपये की लागत से राज्य खेल परिसर का निर्माण किया गया है। अम्बाला तथा गुड़गांव में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ के निर्माण का भी प्रस्ताव है। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है। इस संदर्भ में खेल के मैदानों में सुधार तथा खेल सामग्री की खरीद के लिए धन प्रदान करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं।

पशुपालन

माननीय सदस्यगण, हरियाणा पशुओं के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड बीमे की आधी राशि की अदायगी करता है। मुर्राह भैंसों की नस्ल की ओर विशेष ध्यान देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु नियमित पशु मेले आयोजित किये जाते हैं तथा दुग्ध मात्रा का नियमित रिकार्ड रख कर किसानों को एक हजार रुपये से लेकर छः हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए हिसार में चार करोड़ रुपये की लागत से एक हरियाणा संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, जोकि वर्ष 2001-2002 के दौरान कार्य करना शुरू कर देगा।

खाद्य एवं आपूर्ति

मेरी सरकार गेहूं और धान की, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, बड़े पैमाने पर खरीद करके हरियाणा के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। देश में खाद्यान्नों के बाजार

मूल्यों में कमी के दृष्टिगत यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस मंदी के कारण व्यापारियों ने गेहूं और धान की लाभदायक मूल्यों पर बहुत ज्यादा खरीद नहीं की। वर्ष 2000-2001 के दौरान, सरकारी एजेंसियों ने 44.97 लाख टन गेहूं तथा 13.60 लाख टन धान की खरीद की, जो एक रिकॉर्ड है।

मेरी सरकार "अंत्योदय अन्न योजना" के अंतर्गत गरीबों में से सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर रही है और उन्हें पिंक रंग के राशनकार्ड वितरित कर रही है। इससे पात्र परिवार अत्याधिक किफायती दर पर 25 कि0 ग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

राजस्व

मेरी सरकार ने राज्य के अंदर तथा राज्य से बाहर ऐसी सरकारी सम्पत्तियों पर विशेष ध्यान दिया है, जिनका सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया गया था और जिन पर कब्जा होने की संभावना थी। ऐसी सरकारी सम्पत्ति की पहचान करने और उसे उपयोग में लाने के लिए एक समिति गठित की गई है। वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा आवासीय महत्व की भूमि को हुड्डा, एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 तथा आवास बोर्ड को भी हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है ताकि उसका राज्य सरकार की नीति के अनुरूप सुनियोजित विकास किया जा सके। अन्य सरप्लस भूमि को खुली नीलामी के द्वारा बेचा जाएगा। इस सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, वह यह है कि ऐसी भूमि की बिक्री से जो आय प्राप्त होगी, उसका प्रयोग केवल पूंजीगत सम्पत्ति अर्थात् लघु सचिवालयों, जिला कार्यालयों तथा अन्य आवासीय भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा।

श्रम तथा रोज़गार

माननीय सदस्यगण, उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के बीच अच्छे सम्बन्धों के कारण हरियाणा निवेश के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है । सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप औद्योगिक सुरक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है और औद्योगिक सम्बन्ध भी बहुत अच्छे रहे हैं। राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी 1-7-2000 से 1,914 रुपये प्रतिमास है। एक सराहनीय बात यह है कि राज्य में दुर्घटनाओं की वार्षिक दर 0.90 प्रति हजार श्रमिक है, जो वर्ष 1997 की राष्ट्रीय औसत 11.32 के मुकाबले काफी कम है ।

वन

यद्यपि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, फिर भी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.5 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन है। कृषि फसलों के साथ-साथ विभिन्न किस्मों के वृक्ष लगाने, कृषि वानिकी अपनाने, बेकार पंचायती भूमि व रेतीले टीलों पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने व लोगों का सक्रिय सहयोग लेने से गत दो वर्षों में वनों के अधीन क्षेत्र में 360 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि में यूरोपियन संघ द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से अरावली की पहाड़ियों की शामलात भूमि के सुधार की एक परियोजना के अन्तर्गत पंचायत व सामुदायिक 39390 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग से राज्य के 300 गांवों में हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना लागू की जा रही है।

माननीय सदस्यगण, पिछले दो वर्षों में वानिकी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 30 लाख पौधे लोगों को मुफ्त बांटे गये हैं।

मद्यनिषेध, आबकारी एवं कराधान

मेरी सरकार के सत्ता में आने के बाद से राजस्व की वसूली में प्रभावी वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 में राजस्व वसूली में 13.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । ईमानदारी से कर अदा करने वाले छोटे कर दाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने एक करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यापारियों के लिए 1-1-2000 से स्वयं मूल्यांकन स्कीम शुरू की है । इससे प्रदेश के एक लाख व्यापारियों में से 65 हजार व्यापारी स्कीम से लाभ उठा सकते हैं।

कानून एवं व्यवस्था

माननीय सदस्यगण, समस्त राज्य में शान्ति, समृद्धि और सामाजिक सामंजस्य का वातावरण है। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथिमकता है। मेरी सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में पुलिस बल के ऑपरेटिव विंगों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सीमा पार की आपराधिक गतिविधियों का हम पर बुरा असर पड़ता है। उसी प्रकार से जम्मू-कश्मीर की आतंकवादी गतिविधियों का भी हरियाणा पर प्रभाव पड़ता है । मेरी सरकार इन खतरों के प्रति सजग है और इसलिए राज्य में गुप्तचर तथा कमांडो बलों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। विशेष उल्लेखनीय यह है कि पुलिस कर्मी जो डाकुओं से लड़ते हुये, प्राकृतिक विपदाओं में जन-जीवन का बचाव करते हुये, अति-विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करते हुये अथवा हिंसक भीड़ में अपना जीवन बलिदान करते हैं, उनके परिवारों को, उनके आखिरी वेतन के बराबर, पैंशन उस समय तक दी जायेगी जब जीवित होते हुये उनकी सेवा निवृत्ति होती ।

वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य ने हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये 9.10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। दूरसंचार में सुधार लाने तथा हरियाणा पुलिस में इलैक्ट्रॉनिक्स-प्रशासन की शुरुआत करने के लिए व्यापक क्षेत्र तथा स्थानीय क्षेत्र तंत्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

माननीय सदस्यगण, मैंने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया है। प्रायः प्रशंसनीय कार्यक्रम भी विफल हो जाते हैं, क्योंकि इनके क्रियान्वयन में शिथिलता अथवा बेईमानी आ जाती है। इसलिए, मेरी सरकार, सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है। आशा की जाती है कि हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित लोकायुक्त बिल पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सहमति शीघ्र प्राप्त हो जायेगी, जिससे कि लोकायुक्त की नियुक्ति शीघ्र की जा सकेगी। मेरी सरकार स्वच्छ, पारदर्शी एवं कुशल प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है।

मेरी सरकार भारतीय राजनीति के पितामह चौधरी देवी लाल जी की इस उक्ति कि 'लोकराज लोकलाज से चलता है' में पुनः विश्वास व्यक्त करती है तथा स्वयं को ऐसे हरियाणा के सृजन हेतु पुनः समर्पित करती है जहां प्रत्येक नागरिक शान से जीवन व्यतीत कर, चहुंमुखी

समृद्धि के फल का आनंद ले, कोई बेरोजगार न रहे, जहां किसान अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उत्पादन करें तथा अपनी फसल का पूरा मूल्य प्राप्त करें, जहां व्यापारी बिना किसी भय के वाणिज्यिक गतिविधियों में लगें, जहां उद्योगपति आधारभूत इंफ्रॉस्ट्रक्चर की देय सुविधाओं को प्राप्त करें, धन का सृजन करें, जहां सरकारी कर्मचारी समर्पण भाव से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें और जहां राज्य में सुख, शान्ति और समृद्धि हो।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के नीतिगत कार्यक्रमों कि ये मुख्य रूपरेखा है। इन मुद्दों पर आपका चिंतन तथा रचनात्मक परिचर्चा अवश्य ही राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा हरियाणा की जनता की समस्याओं को हल करने में सहायक होगी।

मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका चिंतन रचनात्मक तथा लाभप्रद हो।

जय हिन्द" !

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हुईं जिनकी वजह से हज़ारों लोग इस जहान से चले गए। विशेष रूप से गुजरात भूकम्प ने पूरे विश्व स्तर पर सबको हिला कर रख दिया। कहां लोग 26 जनवरी को बड़े जोश, चाव और हर्षोल्लास से मना रहे थे लेकिन एकलख्त एक भूकम्प आया और सब कुछ नष्ट हो गया।

गुजरात भूकम्प

यह सदन 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए विनाशकारी भूकम्प में हजारों लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। भूकम्प से गुजरात के कच्छ जिले की भुज, भचाऊ, अंजार और रापर तालुका तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में विनाशकारी तबाही हुई है। रिहायशी व व्यावसायिक भवन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा केन्द्र इत्यादि क्षणों में ध्वस्त हो गये। इस विनाशकारी भूकम्प से हुई क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हजारों लोग जख्मी हुए और लाखों बेघर हुए। इस भूकम्प से लोगों पर जो कहर टूटा, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।

यह सदन दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है और भूकम्प पीड़ित गुजरातवासियों के शीघ्र पुनर्वास की कामना करता है।

सूरजकुण्ड दुर्घटना

यह सदन 11 फरवरी, 2001 को जिला फरीदाबाद के सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले में झूला दुर्घटना में मारे गए चार लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इन महान् शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. सिगनल मैन महेश कुमार, गांव पथरेहड़ी, अम्बाला;
2. ब्रिगेडियर राकेश सिंह, गांव मोहलारा, महेन्द्रगढ़;
3. सिपाही राजेन्द्र कुमार, गांव ढहकोरा, झज्जर;
4. राईफल मैन वेदपाल सिंह, गांव राजगढ़, रिवाड़ी;
5. राईफल मैन विजय सिंह, गांव गोठड़ा टप्पा डहिना, रिवाड़ी;
6. डी0 वी0 आर0/एस0 डब्ल्यू0 आर0 कृष्ण कुमार, गांव ढाणी डुलट, फतेहाबाद;
7. लांस नायक मोहम्मद सदिक, गांव बीजोपुर, फरीदाबाद;
8. सिपाही जगदीश, गांव भागथी, भिवानी;
9. सुबेदार मेजर रणबीर सिंह हुड्डा, गांव खिड़वाली, रोहतक;
10. ब्रिगेडियर देवेन्द्र बटी, गांव कौराली, फरीदाबाद;
11. सिपाही संजय कुमार, गांव बिचपड़ी, फरीदाबाद।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी कुछ शहीदों के नाम मुझे प्राप्त हुए हैं जो समय पर प्रिन्ट नहीं हो पाए थे, इनकी सूचना हमें बाद में मिली। इनके नाम इस प्रकार हैं—उप निरीक्षक मंगली राम पुत्र श्री शेवराम, वासी आसोदा टोडरान, जिला झज्जर जो बी0 एस0 एफ0 में तैनात थे। ये श्रीनगर में बोरी कादल पोस्ट पर दिनांक 14-10-2000 को उग्रवादियों की गोली का शिकार हो गये। इसी तरह से सूबेदार कैलाश सिंह सपुत्र श्री प्रहलाद सिंह, वासी भूण्डसी, थाना सोहना, जिला गुड़गावां के थे। ये दिनांक 18 जनवरी, 2001 को जब श्रीनगर से 15/16 किलोमीटर नीचे सेना की एक बस में आ रहे थे तो अचानक बस के बाहर बम ब्लास्ट हुआ जिसमें श्री कैलाश सिंह की मौत हो गयी। इसी प्रकार सिपाही भागीरथ पुत्र श्री मातादीन नम्बरदार, वासी लोह जबका, थाना पटौदी, जिला गुड़गावां के थे। ये जब दिनांक 23-10-2000 को अपने एक साथी के साथ अरुणाचल प्रदेश में चौरीचन पिंक पहाड़ी चोटी चाईना बार्डर पर झण्डा लहराकर वापिस आ रहे थे तो आपरेशन फल कौनमिशन से लौटते समय पैर फिसलने से ये वीरगति को प्राप्त हुए। इसी तरह से लांस नायक रघबीर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, ग्राम कथूरा, थाना बरौदा, जिला सोनीपत के थे। इन्होंने दिनांक 18-10-2000 को जम्मू-कश्मीर में नौहशहरा के पास उग्रवादियों से हुई भिड़ंत में चार पांच उग्रवादियों को मार गिराया परन्तु बाद में ये स्वयं गोलियों का निशाना बन गये और वीरगति को प्राप्त हुए।

अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि इनके अलावा भी कुछ और वीर सैनिकों के नाम जो शहीद हुए हैं, के बारे में ध्यान न आया हो इसलिए मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अगर इस तरह के और नामों की उनको जानकारी हो तो वे उनके भी नाम यहां पर बता दें ताकि उनको भी इनके साथ ही शामिल कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी एक सम्मानित सदस्य ने नाम दिया है। फौजी हवलदार रघबीर सिंह, गांव भण्डेरी, जिला सोनीपत के थे, भी जम्मू-कश्मीर में हुई दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं।

श्री धर्मवीर, भूतपूर्व राज्यपाल, हरियाणा

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल, श्री धर्मवीर के 16 सितम्बर, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 20 जनवरी, 1906 को हुआ। वह 1930 में आई0 सी0 एस0 में सेवारत हुए। वह 1951 से 1953 तक लंदन में उच्च आयुक्त के वाणिज्यिक सलाहकार रहे और 1954 से 1956 तक चैकोस्लोवाकिया में राजदूत रहे। वह 1966 में पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल बने। वह 1967 से 1969 तक पश्चिमी बंगाल के तथा 1969 से 1972 तक कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। वह एक कुशल खिलाड़ी तथा पर्वतारोही थे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जगन्नाथ, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जगन्नाथ के 26 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 मार्च, 1934 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और मुख्य संसदीय सचिव बने। वह वर्ष 1967, 1977, 1987 और 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बड़ी लगन से कार्य किया। वह कई खेल और सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह के 3 अक्तूबर, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 मई , 1935 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1977, 1982, 1987 और 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1977 से 1979, 1987 से 1990 और 1994 से 1996 के दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक और योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री

यह सदन श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री के 20 फरवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 18 मार्च, 1919 को हुआ। वह 1957 से 1977 तथा 1980 से लगातार लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्तमान लोक सभा के भी सदस्य थे। सदन के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते श्री इन्द्रजीत गुप्त 'सदन पिता' के नाम से जाने जाते थे। वह 1996 से 1998 तक केन्द्रीय गृह मंत्री रहे। वह कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्हें संसदीय बहस में गुणात्मक सुधार के लिए 1992 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने मजदूर वर्ग की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेश जाने वाले कई भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और वरिष्ठ नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जीतेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य

यह सदन श्री जीतेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य के 16 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन 13.00 बजे पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 नवम्बर, 1938 को हुआ। वह 1971, 1980, 1984 और 1989 में लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1994 से 1999 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वह कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया। उन्होंने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अनथक कार्य किया।

उनके निधन से देश एक कुशल सांसद और एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती निशा चौधरी, संसद सदस्या

यह सदन श्रीमती निशा चौधरी, संसद सदस्या के 30 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 सितम्बर, 1952 को हुआ। वह व्यवसाय से शिक्षक थीं। वह कई सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी रहीं। उन्होंने महिला, बच्चों, पिछड़ी जाति व गरीब समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए गहरी रुचि ली। वह 1996 से 1999 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह वर्तमान लोक सभा की भी सदस्या थीं।

उनके निधन से देश एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री इन्द्र सिंह श्योकन्द, भूतपूर्व सांसद

यह सदन भूतपूर्व सांसद, श्री इन्द्र सिंह श्योकन्द के 26 नवम्बर, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 13 सितम्बर, 1923 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह तत्कालीन पैप्सू स्टेट में मंत्री रहे। वह 1957 में पंजाब विधान सभा तथा 1977 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से देश एक योग्य सांसद और कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती विजय राजे सिंधिया, भूतपूर्व संसद सदस्या

यह सदन श्रीमती विजय राजे सिंधिया, भूतपूर्व संसद सदस्या के 25 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 अक्तूबर, 1919 को हुआ। वह 1957 से 1967, 1971 से 1977 और 1989 से 1999 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह 1978 से 1989 तक राज्य सभा की सदस्या रहीं। वह कई संसदीय समितियों की सदस्या रहीं। उनकी बच्चों के विकास और महिलाओं को शिक्षित करने में गहरी रुचि थी। वह एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थीं।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री वी0 एन0 गाडगिल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

यह सदन श्री वी0 एन0 गाडगिल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के 6 फरवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 22 सितम्बर, 1928 को हुआ। वह 1971 से 1980 और 1994 से 2000 तक राज्य सभा तथा 1980 से 1991 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1975 से 1977 और 1983 से 1986 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। वह एक कुशल वक्ता, धर्मनिरपेक्ष और निर्भीक नेता थे। वह 1972 में इंग्लैंड तथा पश्चिमी जर्मनी जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता थे और 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

डॉ0 सुशीला नायर, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

यह सदन डॉ0 सुशीला नायर, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के 3 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 26 दिसम्बर, 1914 को हुआ। वह एक विख्यात स्वतन्त्रता सेनानी थीं, जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और महात्मा गांधी के साथ 1942 से 1944 तक जेल में रहीं। वह 1957 से 1970 और 1977 से 1979 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह 1962 से 1967 तक केन्द्रीय मंत्री रहीं। डॉ0 नायर कई सामाजिक संस्थाओं और चिकित्सा संस्थानों से जुड़ी हुई थीं। उन्हें 1952 में साहित्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक, कुशल सांसद और एक सामाजिक कार्यकर्त्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जी0 लक्ष्मणन, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन श्री जी0 लक्ष्मणन, भूतपूर्व संसद सदस्य के 10 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 फरवरी, 1924 को हुआ। वह 1974 से 1980 तक राज्य सभा और 1980 से 1984 तक लोक सभा के सदस्य रहे । वह 1980 से 1984 तक लोक सभा के उपाध्यक्ष रहे। वह कई मजदूर संगठनों से जुड़े हुए थे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगजीत सिंह टिक्का के 1 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 16 जनवरी, 1926 को हुआ। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मनोहर सिंह आज़ाद, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व विधायक श्री मनोहर सिंह आज़ाद के 3 नवम्बर, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 17 सितम्बर, 1933 को हुआ। वह 1967 से 1972 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे । वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक विधायक और एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री प्रकाश सिंह मजीठा, पंजाब के मंत्री

यह सदन पंजाब के मंत्री श्री प्रकाश सिंह मजीठा के 19 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 18 अक्तूबर, 1920 को हुआ। वह 1967, 1977, 1980 और 1997 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री प्रेम सिंह प्रेम, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री प्रेम सिंह प्रेम के 8 नवम्बर, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म वर्ष 1914 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1962-1967 के दौरान मंत्री रहे। वह पंजाबी के एक प्रसिद्ध लेखक थे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक -संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीनगर में की गई छः सिक्खों की निर्मम हत्या

यह सदन हमारे पड़ोसी देश द्वारा जम्मू-कश्मीर में चलाई जा रही आंतकवादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न हिस्सों में मारे गये लोगों तथा 3 फरवरी, 2001 को श्रीनगर में की गई छः सिक्खों की निर्मम हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता है।

हम आशा करते हैं कि भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में शान्ति स्थापना के लिए किये जा रहे प्रयास सफल होंगे।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

रेल दुर्घटना

यह सदन 2 दिसम्बर, 2000 को फतेहगढ़ साहब (पंजाब) के निकट अमृतसर-हावड़ा मेल और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में मारे गये लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अन्य शोक प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मानित सदस्यों के परिवार के कुछ सदस्य भी इस जहान से चले गए हैं उनके प्रति भी यह सदन श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के मंत्री श्री धीरपाल सिंह की बहन, श्रीमती कृष्णा कुमारी, हरियाणा के राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह की भाभी, श्रीमती सोना देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री कृष्णपाल के भाई, श्री बलराम सिंह, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रमेश खटक की भाभी, श्रीमती राममूर्ति, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा के चाचा, श्री धर्म सिंह, पूर्व महानिरीक्षक हरियाणा पुलिस तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के भाई, कैप्टन प्रताप सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से विनम्र निवेदन करुंगा कि किसी के परिवार के सदस्य का इस दौरान निधन हुआ हो और उसका नाम इस शोक प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया हो तो कृपया वह बता दें और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करुंगा कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान इन 6 महीनों में देश की कई महान हस्तियां हमसे जुदा हो गई हैं, जिनके नामों का उल्लेख मैं आपकी सेवा में करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए विनाशकारी भूकम्प में हजारों लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। भूकम्प से गुजरात के कच्छ जिले के भुज, भचाऊ, अंजार और रापर तालुका तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में विनाशकारी तबाही हुई है। रिहायशी व व्यावसायिक भवन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा केन्द्र इत्यादि क्षणों में ध्वस्त हो गए। इस विनाशकारी भूकम्प से हुई क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हजारों लोग जख्मी हुए और लाखों बेघर हुए। इस भूकम्प से लोगों पर जो कहर टूटा, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में कहीं ऐसी कोई घटना घटी हो तो उनके शीघ्र पुनर्वास की कामना करता हूं।

मैं 11 फरवरी, 2001 को जिला फरीदाबाद के सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले में झूला दुर्घटना में मारे गए चार लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। इन महान् शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :- सिगनल मैन नरेश कुमार, गांव पथरेहड़ी, अम्बाला, ग्रिनेडियर राकेश सिंह, गांव मोहलारा, महेन्द्रगढ़,

सिपाही राजेन्द्र कुमार, गांव ढ़हकोरा, झज्जर, राईफल मैन वेदपाल सिंह, गांव राजगढ़, रिवाड़ी, राईफल मैन विजय सिंह, गांव गोठड़ा टप्पा डहिना , रिवाड़ी, डी0 वी0 आर0/एस0 डब्ल्यू0 आर0 कृष्ण कुमार, गांव ढाणी डुलट, फतेहाबाद, लांस नायक मोहम्मद सदिक, गांव बीजोपुर, फरीदाबाद, सिपाही जगदीश, गांव भागवी, भिवानी, सुबेदार मेजर रणबीर सिंह हुड्डा, गांव खिड़वाली, रोहतक, ब्रिगेडियर देवेन्द्र बटी, गांव कौराली, फरीदाबाद, सिपाही संजय कुमार, गांव बिचपडी, फरीदाबाद। इसके अतिरिक्त लीडर ऑफ दि हाउस ने जो भी नाम शहीदों के शामिल करने के लिए कहे थे वे भी शामिल समझे जायें।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री धर्मवीर के 18 सितम्बर, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 20 जनवरी, 1906 को हुआ। वह 1930 में आई0 सी0 एस0 में सेवारत हुए। वह 1951 से 1953 तक लंदन में उच्चायुक्त के वाणिज्यिक सलाहकार रहे और 1954 से 1956 तक चैकोस्लोवाकिया में राजदूत रहे। वह 1966 में पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल बने। वह 1967 से 1969 तक पश्चिमी बंगाल के तथा 1969 से 1972 तक कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। वह एक कुशल खिलाड़ी तथा पर्वतारोही थे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जगन्नाथ के 26 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 12 मार्च, 1934 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की । वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और मुख्य संसदीय सचिव बने। वह वर्ष 1967, 1977, 1987 और 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बड़ी लगन से कार्य किया। वह कई खेल और सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह के 3 अक्तूबर, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 15 मई, 1935 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1977, 1982, 1987 और 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1977 से 1979, 1987 से 1990 और 1994 से 1996 के दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय मंत्री के 20 फरवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता

[श्री भजन लाल]

हूं। उनका जन्म 18 मार्च, 1919 को हुआ। वह 1957 से 1977 तथा 1980 से लगातार लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्तमान लोक सभा के भी सदस्य थे। सदन के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते श्री इन्द्रजीत गुप्त, 'सदन पिता' के नाम से जाने जाते थे। वह 1996 से 1998 तक केन्द्रीय गृह मंत्री रहे। वह कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्हें संसदीय बहस में गुणात्मक सुधार के लिए 1992 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने मजदूर वर्ग की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेश जाने वाले कई भारतीय शिष्ट मंडलों का नेतृत्व किया। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और वरिष्ठ नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्री जीतेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य के 16 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 12 नवम्बर, 1938 को हुआ । वे 1971, 1980, 1984 और 1989 में लोक सभा के सदस्य रहे। वे 1994 से 1999 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वह कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया। उन्होंने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनथक कार्य किया। उनके निधन से देश एक कुशल सांसद और एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रीमती निशा चौधरी, संसद सदस्या के 30 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 10 सितम्बर, 1952 को हुआ। वह व्यवसाय से शिक्षिका थी। वह कई सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी रहीं। उन्होंने महिला, बच्चों , पिछड़ी जाति व गरीब समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए गहरी रुचि ली। वह 1996 से 1999 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह वर्तमान लोक सभा की भी सदस्या थीं। उनके निधन से देश एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व सांसद श्री इन्द्र सिंह श्योकन्द के 26 नवम्बर, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 13 सितम्बर, 1923 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह तत्कालीन पैप्सू स्टेट में मंत्री रहे। वह 1957 में पंजाब विधान सभा तथा 1977 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से देश एक योग्य सांसद और कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रीमती विजय राजे सिंधिया, भूतपूर्व संसद सदस्या के 25 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन

पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 12 अक्तूबर, 1919 को हुआ । वह 1957 से 1967, 1971 से 1977 और 1989 से 1999 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह 1978 से 1989 तक राज्य सभा की सदस्या रहीं। वह कई संसदीय समितियों की सदस्या रहीं । उनकी बच्चों के विकास और महिलाओं को शिक्षित करने में गहरी रुचि थी। वह एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थीं।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्री वी0 एन0 गाडगिल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के 6 फरवरी, 2001 को हुये दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 22 सितम्बर, 1928 को हुआ। वह 1971 से 1980 और 1994 से 2000 तक राज्य सभा तथा 1980 से 1991 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1975 से 1977 और 1983 से 1986 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। वह एक कुशल वक्ता, धर्मनिरपेक्ष और निर्भीक नेता थे। वह 1972 में इंग्लैंड तथा पश्चिमी जर्मनी जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेता थे और 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से डॉ0 सुशीला नायर, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के 3 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 26 दिसम्बर, 1914 को हुआ। वह एक विख्यात स्वतन्त्रता सेनानी थीं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और महात्मा गांधी के साथ 1942 से 1944 तक जेल में रहीं। वह 1957 से 1970 और 1977 से 1979 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह 1962 से 1967 तक केन्द्रीय मंत्री रहीं। डॉ0 नायर कई सामाजिक संस्थाओं और चिकित्सा संस्थानों से जुड़ी हुई थीं । उन्हें 1952 में साहित्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक, कुशल सांसद और एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक -संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्री जी0 लक्ष्मणन, भूतपूर्व संसद सदस्य के 10 जनवरी 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 12 फरवरी, 1924 को हुआ। वह 1974 से 1980 तक राज्य सभा और 1980 से 1984 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1980 से 1984 तक लोक सभा के उपाध्यक्ष रहे। वह कई मजदूर संगठनों से जुड़े हुए थे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगजीत सिंह टिक्का के 1 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 16 जनवरी, 1926 को हुआ। वह 1952 में संयुक्त पंजाब

[श्री भजन लाल]

विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व विधायक श्री मनोहर सिंह आजाद के 3 नवम्बर, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 17 सितम्बर, 1933 को हुआ। वह 1967 से 1972 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक विधायक और एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से पंजाब के मंत्री श्री प्रकाश सिंह मजीठा के 19 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 18 अक्तूबर, 1920 को हुआ। वह 1967, 1977, 1980 और 1997 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये वह कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे । उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री प्रेम सिंह प्रेम के 8 नवम्बर, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म वर्ष 1914 में हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1962-1967 के दौरान मंत्री रहे। वह पंजाबी के एक प्रसिद्ध लेखक थे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हमारे पड़ोसी देश द्वारा जम्मू-कश्मीर में चलाई जा रही आंतकवादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न हिस्सों में मारे गये लोगों तथा 3 फरवरी, 2001 को श्रीनगर में की गई छः सिक्खों की निर्मम हत्या पर और इनके अलावा और भी बहुत से लोग मारे गये हैं उनके प्रति भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार द्वारा जम्मू -कश्मीर में शान्ति स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से 2 दिसम्बर, 2000 को फतेहगढ़ साहब (पंजाब) के निकट अमृतसर-हावड़ा मेल और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में मारे गए लोगों के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और

अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के मंत्री श्री धीरपाल सिंह की बहन, श्रीमती कृष्णा कुमारी, हरियाणा के राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह की भाभी श्रीमती सोना देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री कृष्णपाल के भाई श्री बलराम, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रमेश खटक की भाभी श्रीमती रामभूर्ति, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा के चाचा श्री धर्मसिंह, पूर्व महानिरीक्षक पुलिस तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के भाई कैप्टन प्रताप सिंह के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन सब दिवंगत आत्माओं को वह अपने चरणों में स्थान दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य श्री दरयाव सिंह भी अपनी मां श्रीमती सर्बती देवी के प्यार से वंचित हो गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि शोक प्रस्ताव की सूची में श्रीमती सर्बती देवी का नाम भी शामिल कर लिया जाए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव किया हैं मैं उसका समर्थन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सब आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है श्रीमती सर्बती देवी का नाम भी इन शोक प्रस्ताव की सूची में शामिल कर लिया जाये।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में से हमारी बहुत सी महान विभूतियां हमारे से जुदा हो गई हैं। इस दौरान देश के प्रदेश गुजरात के अन्दर विनाशकारी भूकम्प आया है जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, उनके प्रति भी मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आये विनाशकारी भूकम्प में हजारों लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। भूकम्प से गुजरात के कच्छ जिले की भूज, भचाऊ, अंजार और रापर तालुका तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में विनाशकारी तबाही हुई है। रिहायशी व व्यावसायिक भवन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा केन्द्र इत्यादि क्षणों में ध्वस्त हो गये। इस विनाशकारी भूकम्प से हुई क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हजारों लोग जख्मी हुए और लाखों बेघर हुए। इस भूकम्प से लोगों पर जो कहर टूटा उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और भूकम्प पीड़ित गुजरातवासियों के शीघ्र पुनर्वास की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 11 फरवरी, 2001 को जिला फरीदाबाद के सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले में झूला दुर्घटना में मारे गये चार लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

मैं दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। इन महान् शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :-

सिगनल मैन नरेश कुमार, गांव पथरेहड़ी, अम्बाला, ग्रिनेडियर राकेश सिंह, गांव मोहलारा, महेन्द्रगढ़, सिपाही राजेन्द्र कुमार, गांव ढ़हकोरा, झज्जर, राईफल मैन वेदपाल सिंह, गांव राजगढ़, रिवाड़ी, राईफल मैन विजय सिंह, गांव गोठड़ा टप्पा डहिना, रिवाड़ी, डी0 वी0 आर0/एस0 डब्ल्यू0 आर0 कृष्ण कुमार, गांव ढाणी डुलट, फतेहाबाद, लांस नायक मोहम्मद सदिक, गांव बीजोपुर, फरीदाबाद, सिपाही जगदीश, गांव भागवी, भिवानी, सुबेदार मेजर रणबीर सिंह हुड्डा, गांव खिड़वाली, रोहतक, ग्रिनेडियर देवेन्द्र बटी, गांव कौराली, फरीदाबाद, सिपाही संजय कुमार, गांव बिचपड़ी, फरीदाबाद।

मैं इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत्-शत् नमन करता हूँ और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री धर्मवीर के 16 सितम्बर, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 20 जनवरी, 1906 को हुआ। वह 1930 में आई0 सी0 एस0 में सेवारत हुए। वह 1951 से 1953 तक लंदन में उच्चायुक्त के वाणिज्यिक सलाहकार रहे और 1954 से 1956 तक चैकोस्लोवाकिया में राजदूत रहे। वह 1966 में पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल बने। वह 1967 से 1969 तक पश्चिमी बंगाल के तथा 1969 से 1972 तक कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। वह एक कुशल खिलाड़ी तथा पर्वतारोही थे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जगन्नाथ के 26 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 12 मार्च, 1934 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और मुख्य संसदीय सचिव बने। वह वर्ष 1967, 1977, 1987 और 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बड़ी लगन से कार्य किया। वह कई खेल और सामाजिक संगठनों के जुड़े रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह के 3 अक्तूबर, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 15 मई, 1935 को हुआ। उन्होंने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1977, 1982, 1987 और 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1977 से 1979, 1987 से 1990 और 1994 से 1996 के दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक और योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य और पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री के 20 फरवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 18 मार्च, 1919 को हुआ। वे 1957 से 1977 तथा 1980 से लगातार लोक सभा के सदस्य रहे। वे वर्तमान लोक सभा के भी सदस्य थे। सदन के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते श्री इन्द्रजीत गुप्त "सदन पिता" के नाम से जाने जाते थे। वे 1996 से 1998 तक केन्द्रीय गृह मन्त्री रहे। वे कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्हें संसदीय बहस में गुणात्मक सुधार के लिए 1992 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने मजदूर वर्ग की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेश जाने वाले कई भारतीय शिष्ट मण्डलों का नेतृत्व किया। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और वरिष्ठ नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन श्री जीतेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य के 16 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 12 नवम्बर, 1938 को हुआ। वह 1971, 1980, 1984 और 1989 में लोक सभा के सदस्य रहे। वे 1994 से 1999 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वे कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया। उन्होंने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अनथक कार्य किया। उनके निधन से देश एक कुशल सांसद और एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती निशा चौधरी, संसद सदस्या के 30 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 10 सितम्बर, 1952 को हुआ। वह व्यवसाय से शिक्षिका थीं। वह कई सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी रहीं। उन्होंने महिला, बच्चों, पिछड़ी जाति व गरीब समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए गहरी रुचि ली। वह 1996 से 1999 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह वर्तमान लोक सभा की भी सदस्या थीं। उनके निधन से देश एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती विजय राजे सिंधिया, भूतपूर्व संसद सदस्या के 25 जनवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 12 अक्तूबर, 1919 को हुआ। वह 1957 से 1967, 1971 से 1977 और 1989 से 1999 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह 1978 से 1989 तक राज्य सभा की सदस्या रहीं। वह कई संसदीय समितियों की सदस्या रहीं। उनकी बच्चों के विकास और महिलाओं को शिक्षित करने में गहरी रुचि थी। वह एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री वी0एन0 गाडगिल, भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री के 6 फरवरी, 2001 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 22 सितम्बर, 1928 को हुआ। वह 1971 से 1980 और 1994 से 2000 तक राज्य सभा तथा 1980 से 1991 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वे 1975 से 1977 और 1983 से 1986 तक केन्द्रीय राज्य मन्त्री रहे। वे एक कुशल वक्ता,

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

धर्मनिरपेक्ष और निर्भीक नेता थे। वे 1972 में इंगलैंड तथा पश्चिमी जर्मनी जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता थे और 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ0 सुशीला नायर, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के 3 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 26 दिसम्बर, 1914 को हुआ। वे एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और महात्मा गांधी के साथ 1942 से 1944 तक जेल में रहीं। वह 1957 से 1970 और 1977 से 1979 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। वह 1962 से 1967 तक केन्द्रीय मंत्री रहीं। डॉ0 नायर कई सामाजिक संस्थाओं और चिकित्सा संस्थानों से जुड़ी हुई थीं। उन्हें 1952 में साहित्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक, कुशल सांसद और एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जी0 लक्ष्मण, भूतपूर्व संसद सदस्य के 10 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 12 फरवरी, 1924 को हुआ। वह 1974 से 1980 तक राज्य सभा के और 1980 से 1984 तक लोक सभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई मजदूर संगठनों से जुड़े थे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगजीत सिंह टिक्का के 1 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 16 जनवरी, 1926 को हुआ। वे 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं हरियाणा के भूतपूर्व विधायक श्री मनोहर सिंह आजाद के 3 नवम्बर, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 17 सितम्बर, 1933 को हुआ। वे 1967 से 1972 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक विधायक और एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब के मंत्री श्री प्रकाश सिंह मजीठा के 19 जनवरी, 2001 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 18 अक्तूबर, 1920 को हुआ। वे 1967, 1977, 1980 और 1997 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे कई महत्वपूर्ण विभागों के

मंत्री रहे । उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और कुशल विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री प्रेम सिंह प्रेम के 8 नवम्बर, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म वर्ष 1914 में हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1962-1967 के दौरान मंत्री रहे। वे पंजाबी के एक प्रसिद्ध लेखक थे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोसी देश द्वारा जम्मू-कश्मीर में चलाई जा रही आंतकवादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न हिस्सों में मारे गये लोगों तथा 3 फरवरी, 2001 को श्रीनगर में की गई छः सिखों की निर्मम हत्या पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में शान्ति स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। मैं दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2 दिसम्बर, 2000 को फतेहगढ़ साहब (पंजाब) के निकट अमृतसर हावड़ा मेल और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में मारे गए लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा के सदस्यों के परिवारजनों की हुई असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। हरियाणा के मंत्री श्री धीरपाल सिंह जी की बहन, श्रीमती कृष्णा कुमारी, हरियाणा के राज्य मंत्री श्री बहादुर सिंह की भाभी श्रीमती सोना देवी, मेरे खुद के भाई श्री बलराम सिंह, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रमेश खटक की भाभी श्रीमती राममूर्ति, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा के चाचा श्री धर्मसिंह, पूर्व महानिरीक्षक हरियाणा पुलिस तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के भाई कैप्टन प्रताप सिंह के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में जगह दे। मैं दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्तावों में शोक प्रस्ताव नं0 3 में सीरियल नं0 5 पर गलत टाईप किया हुआ है इसलिए इसको शुद्ध करने की जरुरत है। यह राईफलमैन विजय सिंह, गांव गोठड़ा टप्पा डहिना रोहतक की जगह गांव गोठड़ा टप्पा डहिना रिवाड़ी है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह ठीक करवा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी एक श्री एस0 सी0 यादव जो बी0 एस0 एफ0 में डी0 आई0 जी0 थे और बावल के रहने वाले थे, का भी कच्छ में हैलीकॉप्टर दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया है उनका नाम भी इन शोक प्रस्तावों में शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के दौरान जो महान विभूतियां हमारे बीच में से चली गयी हैं उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी तरफ से, अपने इलाके के लोगों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सहानुभूति प्रकट करता हूँ। इसके अलावा और जितनी भी महान विभूतियों के नामों की चर्चा सदन के नेता ने की है उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। मेरी ओर से इन सबके बारे में शोक प्रस्ताव पढ़ा समझा जाए और इन्हें सदन की कार्यवाही में दर्ज कर लिया जाए।

श्रीमती अनीता यादव (सालहावास) : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और नाम श्री हनुमान प्रसाद चौहान जो गांव गोठड़ा टप्पा डहीना रेवाड़ी का रहने वाला था, को भी इन शोक प्रस्तावों में शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव हाऊस में रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में इस संसार से हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां चली गयी हैं।

सबसे पहले मैं इस शताब्दी की भीषणतम प्राकृतिक आपदा जिसमें हजारों जानें चली गयी हैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। गुजरात में आए भूकम्प से कच्छ जिले के भचाउ, अंजार और रापर तालुका तथा गुजरात के दूसरे क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा नुक्सान हुआ है। मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से एक शिष्ट मंडल के साथ वहां पर जाने का मौका मिला। इस शिष्टमंडल में हमारे पूर्व चीफ सैक्रेट्री श्री विष्णु भगवान जी, श्री अभय सिंह जी चौटाला, विधायक, श्री रामनिवास, डायरैक्टर इंडस्ट्रीज, आर0 एस0 दून, आई0 ए0 एस0 तथा दूसरे अधिकारी भी थे। एक तारीख को जब हम सब भुज एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर सुनसान था। वहां कोई नहीं था। वह एयरपोर्ट भी खत्म सा ही हो गया था। जब हम शहर के अन्दर गए तो हमने देखा कि दो-दो मंजिला बिल्डिंगज़ नीचे धंस चुकी थीं। गुजरात सरकार की तरफ से, दूसरी सरकारों की तरफ से एवं आपकी सरकार की तरफ से राहत कार्य करवाए जा रहे थे। लेकिन वहां पर सबके जीवित निकालने की संभावना नहीं थी। साथ ही इतनी जल्दी सबको सारी सुविधाएं मुहैय्या करवाना संभव भी नहीं था। मरने वालों या घायल होने वालों की जितनी संख्या अखबारों में बताई जा रही हैं या गवर्नमैंट के पास है उससे कहीं ज्यादा यह संख्या है। अब वहां वे लाश के रूप में नहीं रहीं हैं बल्कि अब तो वो अस्थि पिंजर ही बाकी रह गये हैं। वहां पर 95 फीसदी मकान गिर चुके थे और 5 फीसदी जो मकान बचे थे उनमें भी दरार आयी हुई थी। कोई भी आदमी वहां पर अपने इन मकानों में नहीं सोता था और दुःख की बात यह है कि न ही कोई आदमी वहां पर रोता था। सारे गांव वाले वहां पर सहमे हुए थे। जब हम उनसे बातचीत करके उनका हालचाल पूछते तब जाकर उनके आंसू आते थे। ऐसे समय में हरियाणा सरकार ने और दूसरी स्वयं-सेवी संस्थाओं ने वहां बहुत अच्छा काम किया। हरियाणा सरकार ने कच्छ और दूसरी जगहों पर अनाज, राशन, साबुन, लालटेन, मोमबत्ती, कम्बल और टैंट भेजे हैं। हमारे और भी बहुत से साथी वहां गए हैं। उन्होंने उनके साथ जुड़कर 19 गांव ऐडौप्ट किए और उनमें टैंट, कम्बल व राशन बांटने का काम किया और 10 जगह कैम्प स्थापित किया व डॉक्टरों की टीम अलग से गई हुई थी। हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने वहां बच्चों को शिक्षा देने का काम भी किया ताकि

वहां जो माता पिता दुःखी थे उनके बच्चे उनको देखकर डिप्रैशन में न आ जाएं, उन्हें पढ़ाना तो क्या था उनका टाइम पास करना था ताकि वे बच्चे डिप्रैशन में न आएं। उनको खुश करने की बात थी और हमारी इस बात को सारे देश ने सराहा। गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष श्री धीरु भाई की मुझे चिट्ठी आई है और उन्होंने हमारे द्वारा वहां किये गए कार्यों की बहुत सराहना की है। गुजरात में बड़ा भारी नरसंहार हुआ है और दोबारा से उस फॉर्म में आने के लिए कई साल लगेंगे। इस विनाश में हुई जान हानि का मुझे बहुत ही अफसोस है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और जो माली नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति शीघ्रतम हो। मुझे सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेले में हुई दुर्घटना में चार लोगों की जानें जाने का बहुत अफसोस है। कई सैनिक जिनका नाम मुख्यमंत्री महोदय ने अपने प्रस्ताव में लिया, देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और इसके साथ ही श्री एस0 सी0 यादव, डी0 आई0 जी0, बी0 एस0 एफ0 उनकी भी दुर्घटना में मौत हुई। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति दे। जिनकी बदौलत हमारे देश की आजादी कायम हैं ईश्वर इन सभी वीर सैनिकों की आत्माओं को शान्ति दे। इसी प्रकार हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल, श्री धर्मवीर के निधन पर मुझे गहरा दुःख है। वह एक अनुभवी प्रशासक थे और हरियाणा के अलावा और प्रदेशों के भी राज्यपाल रहे। इसी प्रकार हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, श्री जगन्नाथ के निधन पर गहरा दुःख है वह पांच बार विधान सभा के सदस्य चुने गए। कई विभागों के मंत्री रहे। हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह के निधन पर गहरा दुःख है। वह चार बार विधान सभा के लिए चुने गए। वह कई महकमों के मंत्री रहे और बड़ी कुशलता से इन विभागों में काम करते रहे। वह बड़े ही हंसमुख व योग्य व्यक्ति थे। इसी तरह श्री जितेन्द्र प्रसाद, श्रीमती निशा चौधरी, श्री इंद्र सिंह श्योकन्द, श्रीमती विजय राजे सिंधिया, श्री जी0 लक्ष्मण, भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त, वी0 एन0 गाडगिल तथा डॉक्टर सुशीला नायर, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री रहे इन सभी राष्ट्रीय विभूतियों के चले जाने का मुझे बहुत दुःख है। हमारी विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री जगजीत सिंह टिक्का थे। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के पहली बार सदस्य चुने गए थे। उसके बाद वह 1972 में भी विधान सभा के सदस्य रहे। हरियाणा के भूतपूर्व विधायक श्री मनोहर सिंह आजाद के निधन पर मुझे गहरा दुःख है। श्री प्रताप सिंह मजीठा पंजाब के मंत्री रहे और श्री प्रेम सिंह संयुक्त पंजाब के मंत्री थे इन दोनों के निधन पर मैं अपना शोक प्रकट करता हूँ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में छह सिखों की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या पर मुझे दुःख है। इसके अलावा रेल दुर्घटना जो कि फतेहगढ़ साहिब पंजाब में हुई, में मारे गए लोगों के निधन पर भी मैं अपना शोक प्रकट करता हूँ। अन्त में श्री धीरपाल सिंह की बहन श्रीमती कृष्णा कुमारी, राज्यमंत्री श्री बहादुर सिंह की भाभी श्रीमती सोना देवी, विधान सभा के सदस्य श्री कृष्णपाल के भाई श्री बलराम सिंह, विधान सभा के सदस्य श्री रमेश खटक की भाभी श्रीमती राममूर्ति, विधान सभा के सदस्य श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा के चाचा श्री धर्म सिंह, पूर्व महानिरीक्षक पुलिस तथा विधान सभा के सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के भाई कैप्टन प्रताप सिंह के दुःखद निधन पर गहरा दुःख है । इसी तरह विधान सभा सदस्य श्री दरियाव सिंह की माता श्रीमती शर्बती देवी के निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूँ इसके अलावा जो नाम रह गये थे उनमें श्री अजमेर सिंह, पुत्र श्री महासिंह गांव जौरासी का है यह 24 साल का जवान था और जे0 एण्ड के0 में 15-2-2001 को शहीद हुआ। इसके अलावा उप-निरीक्षक श्री मंगली राम जी, सूबेदार कैलाश सिंह, सिपाही भागीरथ, लांस नायक रघुबीर सिंह व श्री हनुमान प्रसाद चौहान जो कि गांव गोठड़ा टप्पा ढहीना के थे

[श्री अध्यक्ष]

जिनका नाम बहन अनीता यादव जी ने लिया है इनका नाम भी इसमें शामिल किया जाता है । मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ और उन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी और अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करूंगा।

(इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) चेयरपर्सन के नामों की सूची :

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13(I) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons :—

1. Shri Bhagwan Sahai Rawat
2. Shri Rajinder Singh Bisla
3. Shri Ajay Singh Yadav
4. Shri Chander Bhatia

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under Rule 303 (I) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

1. Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
2. Shri Bhagwan Sahai Rawat	Member
3. Smt. Veena Chhibbar	Member
4. Shri Abhay Singh Chautala	Member
5. Shri Zakir Hussain	Member

(ख) सचिव द्वारा—

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make announcement.

सचिव : मान्यवर मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने सितम्बर, 2000 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ —

1. The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2000.
2. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2000.
3. The Haryana Local Area Development Tax Bill, 2000.
4. The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 2000.
5. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2000.

बिजनैस एडवाजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 10.00 A. M. on Monday, the 5th March, 2001 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 9.30 A. M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put. However, on Wednesday, the 7th March and Thursday the 8th March, 2001 the Assembly shall meet again at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put.

On Monday, the 5th March, 2001, the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the List of Business for the day."

The Committee further recommends that on Thursday the 15th March, 2001, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion also recommends that the Business on 5th March, 2001, 7th March and 8th March, 2001, 12th March to 15th March, 2001 be transacted by the Sabha as under:—

"The House will meet Immediately Half an Hour after the Conclusion of the Governor's Address on the 5th March, 2001	1. Laying of a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/relaid on the Table of the House.
Tuesday, the 6th March, 2001	Holiday.
Wednesday, the 7th March, 2001 (9.30 A.M.) (First Sitting)	1. Questions Hour. 2. Discussion on Governor's Address.
Wednesday, the 7th March, 2001 (2.00 P.M.) (Second Sitting)	1. Motion under Rule 30 2. Resumption of Discussion on Governor's Address.
Thursday, the 8th March, 2001 (9.30 A.M.) (First Sitting)	1. Question Hour. 2. Resumption of Discussion on Governor's Address. 3. Presentation of Supplementary Estimates for the year 2000-2001 and the Report of the Estimates Committee thereon.
Thursday, the 8th March, 2001 (2.00 P.M.) (Second Sitting)	1. Resumption of Discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.

[Mr. Speaker]

	2. Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2000-2001.
Friday the 9th March, 2001	No Sitting.
Saturday, the 10th March, 2001	Off-day.
Sunday, the 11th March, 2001	Holiday.
Monday, the 12th March, 2001 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Budget Estimates for the year 2001-2002.
Tuesday, the 13th March, 2001 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Papers laid, if any. 3. General Discussion on Budget Estimates for the year 2001-2002.
Wednesday, the 14th March, 2001 (9.30 A. M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 30. 3. Motion under Rule 121. 4. Presentation of Reports of Assembly Committees. 5. Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2001-2002 and reply by the Finance Minister. 6. Discussion and voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2001-2002.
Thursday, the 15th March, 2001 (9.30 A. M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha *Sine die.* 4. Presentation of Reports of the Assembly Committees. 5. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 2000-2001. 6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2001-2002. 7. Legislative Business. 8. Any other Business. "

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि सैशन का समय जो प्रातः 9.30 बजे रखा गया है, इसको 10 बजे या 10 बजे के बाद का रखा जाए क्योंकि सुबह-सुबह सभी मैम्बर्ज़ के पास आने-जाने वाले लोगों का दबाव रहता है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि यह बजट अधिवेशन है और इस बजट अधिवेशन में गवर्नर एड्रैस पर जो कहा गया है उस पर चर्चा होनी है। इस बजट सैशन के लिए मात्र 8 दिन काम के रखे गए हैं। 8 दिन के अन्दर जितने भी माननीय सदस्य हैं वे अपनी बात नहीं कह पाएंगे और न ही सरकार अपनी सारी बातों का जवाब दे पाएगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि बी0 ए0 सी0 की जो रिकमैंडेशंज़ दी गई हैं उन पर पुनः विचार करके दिन बढ़ा दिए जाएं ताकि सभी माननीय सदस्य हरियाणा के लोगों की भावनाओं को और अपने-अपने इलाके की समस्याओं को उजागर कर सकें । इसलिए मेरा अनुरोध है कि बजट सैशन का समय कम से कम 20 वर्किंग डे रखा जाए।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल अकेली पार्टी के अकेले सदस्य हैं इसलिए इनका एक सुझाव तो मान लिया जाए। अगर हाउस की सहमति हो तो सैशन का टाइम प्रातः 10 बजे हो सकता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यदि हाउस शुरू करने का समय सुबह 9.30 बजे 14.00 बजे से बढ़ाकर 10 बजे करने की बजाय 11 बजे कर दिया जाये तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर समय 9.30 बजे से बढ़ा कर 11 बजे कर दिया जाये तो जिस दिन डबल सिटिंग होगी उस दिन दिक्कत आयेगी।

श्री अध्यक्ष : रूल्ज़ में समय 9.30 बजे का है अगर हाउस की सहमति हो तो इसे बढ़ाकर 10 बजे का किया जा सकता है।

श्री भजन लाल : रूल्ज़ में 9.30 बजे का समय है इसलिए रूल्ज़ के हिसाब से सैशन शुरू करने का समय 9.30 बजे ही होना चाहिए ताकि सभी सदस्यों को बोलने का ज्यादा समय मिले।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रूल्ज़ के हिसाब से सैशन शुरू होने का समय सुबह 9.30 बजे ही रखा जाये। इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि यदि हाउस की सहमति हो तो 13 और 14 तारीख को भी हाउस की डबल सिटिंग कर ली जाये ताकि माननीय सदस्यों को बोलने का ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, 13 और 14 को डबल सिटिंग करने की बजाय सैशन आगे दो दिन के लिए बढ़ा देना चाहिये। डबल सिटिंग का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ज्यादा देर तक बैठने से हम भी और प्रैस वाले भी थक जाते हैं। इसलिए सैशन आगे दो दिन के लिए बढ़ा दिया जाये।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि अपोज़ीशन के भाई डबल सिटिंग नहीं चाहते तो ठीक है, सिंगल सिटिंग ही चलने दें। अगर ये चाहते हैं तो डबल सिटिंग कर देंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी मौजूदगी में बी0 ए0 सी0 की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने आश्वासन दिया था कि जो भी माननीय सदस्य बोलने वाले होंगे उनको बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डबल सीटिंग रखी जाये ताकि जो भी बोलने वाले माननीय सदस्य हों वे अपनी पूरी बात कह सकें।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर सरकार भी सहमत है, 7 तथा 8 तारीख को डबल सीटिंग का फैसला किया था और जो बी0 ए0 सी0 की प्रोसीडिंग थी उसको एज़ इट इज़ रखा जायेगा और सभी सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, लेकिन बिज़नैस एडवाईज़री कमेटी ने तो निर्णय लिया था कि डबल सिटिंग रखी जायेंगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बिज़नैस एडवाईज़री कमेटी ने 7 और 8 तारीख को डबल सिटिंग करने का निर्णय लिया था 13 और 14 तारीख को डबल सिटिंग करने का हमने सुझाव दिया था लेकिन कुछ भाई इससे सहमत नहीं हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे और सबको बोलने का उचित समय दिया जायेगा।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यानि लीडर ऑफ दी हाउस 13 और 14 तारीख को डबल सिटिंग की बात कह रहे हैं और वह बात सिरे न चढ़े तो ठीक नहीं है। फिर तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक सुझाव था जो कि सदन नहीं मान रहा है। (शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह तो एक सुझाव था जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तो इसके लिए इनको बहुत मौके मिलेंगे और 15-3-2001 तक ये अपना पूरा जोर लगा लें। स्पीकर सर, बहुत मौके आएंगे, मनी बिल्ज़ आएंगे, बजट आएगा उस वक्त ये जितनी बार मर्जी अविश्वास प्रस्ताव ले कर आएं। ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं तो हमें बड़ी खुशी होगी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन में बैठे जरूर रहें । पिछली बार की तरह भाग न जाएं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये दो बातों का ध्यान जरूर रखें एक तो अविश्वास प्रस्ताव मूव करने के बाद भाग न जायें और दूसरी बात सूसाइड न कर लें । (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा सूसाइड का अभी टाइम नहीं आया है। वैसा टाइम तो इनका आएगा। (शोर) अभी तो 13 और 14 तारीख को डबल सिटिंग की बात है ये 13 और 14 तारीख को डबल सिटिंग कर दें। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सुझाव तो कोई भी दे सकता है अगर हाउस उस सुझाव को नहीं मानना चाहता तो न माने । (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 13 और 14 तारीख को डबल सिटिंग का सुझाव है और हम डबल सिटिंग चाहते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, मैम्बर्ज़ तो सहमत नहीं हैं। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैम्बर्ज़ तो डबल सिटिंग की बात कह रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मैम्बर्ज़ नहीं मान रहे हैं तो फिर आप वोटिंग करा कर देख लीजिए। (शोर) आपने 13 और 14 तारीख को डबल सिटिंग का बोला है उसे हम मानते हैं। (शोर) आप कहते हैं कि हाउस एग्री नहीं करता, अगर हाउस एग्री नहीं करता तो इनसे पूछ कर देख लीजिए या फिर वोटिंग करा कर देख लें। (शोर)

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी हाउस के नेता के रूप में भी यहां कई बार बैठ चुके हैं लेकिन ये एक बात भूल रहे हैं कि जब एडवाइज़री कमेटी में एक चीज पास हो गई तो फिर वोटिंग की बात कहां रह जाती है। (शोर) शायद इन्हें ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। (शोर) मुझे जितनी जानकारी है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि एडवाइज़री कमेटी में चौधरी भजन लाल जी भी सदस्य हैं और इनकी सहमति से ही एडवाइज़री कमेटी में सारी चर्चा हुई है फिर भी ये यहां दूसरी बात कर रहे हैं। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस मास्टर है। (शोर) अगर हाउस एग्री करेगा तभी बी0 ए0 सी0 का फैसला लागू होगा वरना बी0 ए0 सी0 का फैसला लागू नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने एक सुझाव दिया है और हम उस सुझाव को मानते हैं और चाहते हैं कि 13 और 14 तारीख की डबल सिटिंग कर दें। आप हाउस से पूछें तो सही कि हाउस इस सुझाव को मानता है या नहीं। अगर मैम्बर्ज न मानें तो डबल सिटिंग न करना । (शोर) अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने यहां रखा है पहले उसका तो फैसला कर दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : सुझाव और प्रस्ताव में फर्क होता है। विपक्ष की तरफ से ही सुझाव नहीं माना गया है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता को इस बात का ध्यान नहीं है कि इस सदन के किसी सदस्य की तरफ से ही जब यह प्रश्न आया कि मैम्बरों को बोलने का समय थोड़ा मिलेगा इसीलिए मैंने तो अपना एक सुझाव दिया था अगर उसे सदन नहीं मानता तो मेरे पास इसका कोई ईलाज नहीं है। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : सर, मेरा एक सुझाव है (शोर) आज हाउस में गवर्नर एड्रैस पेश हुआ है।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अभी आप बैठिए। आगे आपको बोलने का बहुत मौका मिलेगा। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : सर, मेरी बात तो सुन लें (शोर) स्पीकर सर, आज जो गवर्नर एड्रैस पेश हुआ है उस पर डिस्कशन के लिए आपने 7 और 8 तारीख दो दिन रखे हैं और दोनों दिन डबल सिटिंग हैं। इसके बाद 12 तारीख को वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगे। स्पीकर सर, यह सैशन जो है इसमें बजट का ही बहुत महत्व है। 12 तारीख को बजट पेश होगा और उस पर 13 और 14 तारीख दो दिन डिस्कशन के लिए दिये हैं। स्पीकर सर, बजट सैशन पर जितनी चर्चा होगी उसमें विधायकगण अपने-अपने हल्के और स्टेट के बारे में बोलेंगे जिसका बहुत महत्व है। इसलिए उनको बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। (शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पाकीर सर, मैम्बरों को बोलने का खूब समय मिलेगा। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मैम्बरों को बोलने का खूब समय कैसे मिल पाएगा। 7 और 8 तारीख को जब डबल सिटिंग कर रहे हैं तो फिर बजट सैशन में बजट पर चर्चा के लिए 13 और 14 तारीख को डबल सिटिंग करने में क्या दिक्कत हैं ? मुख्यमंत्री जी आपकी जो राय थी वह ठीक थी आप उससे पीछे क्यों हट रहे हैं ? आप चाहते हैं कि 13 और 14 तारीख को हाउस की डबल सिटिंग होनी चाहिये और हम भी यही चाहते हैं तो आप हाउस की डबल सिटिंग क्यों नहीं करते ?

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने खुद 1995 का बजट केवल 35 मिनट में पास कर दिया था। (शोर)

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च की रैली में चौधरी भजन लाल ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को बोलने नहीं दिया। धक्के मार-मार कर बाहर निकाल दिया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाएं। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, इन्होंने मेरा नाम लिया है। इसलिए मैं इनको बता देता हूं। ऐसा है कि यह कार्य भी आप लोगों का ही किया हुआ था क्योंकि उस समय वहां पर आप लोगों ने ही अपनी पार्टी के लोग भेजे हुए थे। वहां पर आप लोगों ने अपने आदमी भेज रखे थे क्योंकि आप लोगों को तकलीफ थी। आप चिन्ता न करें एक महीने बाद फिर आप देख लेना ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हुड्डा साहब आप पहले चौधरी भजन लाल को अपना लीडर नहीं मान रहे थे। अब तो आप चौधरी भजन लाल को अपना लीडर मान रहे हैं।

श्री भजन लाल : यह हमारी पार्टी का मामला है, हमारे घर का मामला है आपको इसमें तकलीफ क्यों हो रही है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप जो बात सोच रहे हैं उसका आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। आपकी जल्दी ही छुट्टी होने वाली है।

श्री भजन लाल : आपकी छुट्टी भी हम मिल कर ही करेंगे।

प्रो0 सम्पत सिंह : हमें यह उम्मीद नहीं थी कि हुड्डा साहब इतनी जल्दी सरेण्डर कर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : हुड्डा ने अपनी जिन्दगी में कभी सरेण्डर नहीं किया।

प्रो0 सम्पत सिंह : आप यह कह रहे हो कि वहां पर हमने अपने आदमी भेजे हुए थे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप इस चीज में माहिर हैं।

Mr. Speaker : Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The Motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए /पुनः रखे गये कागज पत्र

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to re-lay on the table of the House :-

1. The Power Department Notification No. S. O. 106/H.A. 10/98/ Ss 23,24,25/98, dated the 14th August, 1998, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

2. The Power Department Notification No. S. O. 111/H.A. 10/98/ S. 55/98, dated the 16th August, 1998, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

3. The Power Department Notification No. S. O. 156/H.A. 10/98/ Ss 23,24, 25 and 55/99, dated the 1st July , 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

4. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 70/Const./Art. 320/Amd. (1)/99, dated the 2nd July, 1999 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1999, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

5 The Power Department Notification No. S. O. 186/H.A. 10/98/ Ss 23,24 and 25/99, dated the 13th August, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

6. The Power Department Notification No. S. O. 213/H.A. 10/98/ Ss 23,24,25 and 55/99, dated the 15th October, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

7. The Power Department Notification No. S. O. 235/H.A. 10/98/ Ss. 23,24,25 and 55/99, dated the 15th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

8. The Power Department Notification No. S. O. 244/H.A. 10/98/ Ss.23,24,25 and 55/99, dated the 30th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

9. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 11/Const./Art. 320/Amd. (1)/2000, dated the 27th March, 2000 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 2000, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

10. The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 18/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 3rd April, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

[Prof. Sampat Singh]

11. The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 21/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 20th April, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

12. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 25/Const./Art.320/Amd.(1)/2000, dated the 23rd May, 2000 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 2000, as requried under Article 320(5) of Constitution of India.

13. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 29/Const./Art. 320/Amd. (2)2000, dated the 29th June, 2000 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 2000, as required under Article 320(5) of Constitution of India.

14. The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 41/Haryana Ordinance 10/2000/S. 26/2000, dated the 27th July, 2000 regarding the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2000, as required under Section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Ordinance, 2000.

15. The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 44/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 28th July, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 2000.

16. The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 45/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 28th July, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

17. The Power Department Notification No. S.O.73/H.A. 10/98/ Ss. 23, 24, 25 and 55/2000, dated the 14th June, 2000, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the table of the House :-

1. The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 78/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 14th October, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

2. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 4/Const./Art. 320/Amd. 2001, dated the 16th February, 2001 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2001, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

3. The 32nd Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1998-99 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

4. The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 1999 as required under Section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

5. The Audit Report of the Haryana Labour Welfare Board for the year 1998-99, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

6. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1992-93, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

7. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1993-94, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

8. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1994-95, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

9. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1995-96, as required under Article 323 (2) of the Constitution of India.

10. The 32nd Annual Report of Haryana Warehousing Corporation for the year 1998-99, as required under Section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

11. The 26th Annual Report of Haryana Seed Development Corporation Limited for the year 1999-2000, as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

12. The Annual Statement of Accounts of the Housing Board Haryana for the year 1997-98, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

13. The Annual Report of National Human Rights Commission for the year 1996-97 alongwith memorandum of action taken under Sub-section (2) of Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

[Prof. Sampat Singh]

14. The Power Department order No. S.O. 145/HA/10/98.S.51/2000 dated the 30th December, 2000, as required under Section 51(2) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

15. The Finance MINISTER Accounts of the Government of Haryana for the year 1999-2000 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

16. The Appropriation MINISTER Accounts of the Government of Haryana for the year 1999-2000 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

17. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2000 No. 2 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 151 of the Constitution of India.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 7th March, 2001.

14.14 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 7th March, 2001)

33126—H.V.S.—H.G.P., Chd.